

प्रेषक,

कमिश्नर,  
वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 744/विधि संशो0 /2018-19

लखनऊ, दिनांक 26 जून, 2018


विषय: उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-434/11-6-2018-एम(36)/17 दिनांक 06.06.2018 के माध्यम से यह अवगत कराते हुए कि उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2018, जो अधिसूचना संख्या-194/11-6-2018-एम(36)/2017 दिनांक 23.03.2018 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी है, द्वारा उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 में कतिपय संशोधन किया गया है, की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त अधिसूचना संख्या-194/11-6-2018-एम(36)/2017 दिनांक 23.03.2018 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


भवदीय,

  
11/6/2018  
(आर0 रस्तोगी)  
सहायक आयुक्त,  
कृते आयुक्त।

संख्या: 744 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

- 1- समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- संख्याधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित अधिसूचना को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 4- गार्ड फाइल।

  
11/6/2018  
(आर0 रस्तोगी)  
सहायक आयुक्त,  
कृते आयुक्त।

उत्तर प्रदेश शासन  
कर एवं निबन्धन विभाग

अनुभाग-6

अधिसूचना

23 मार्च, 2018 ई0

सं0 194/11-6-2018-एम(36)/2017-उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2018

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-1-यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जाएगी।

2-यह गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम 2 का संशोधन-उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स 1951, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ 1

विद्यमान नियम

1-परिभाषाएं-इन नियमों में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो :

(i) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित चलचित्र अधिनियम, 1918 से अभिप्रेत है;

(ii) "प्रेक्षागृह" का तात्पर्य लाइसेंस प्राप्त परिसर के उस भाग से है जहाँ जनता को फिल्मों का प्रदर्शन अवलोकित करने के लिए वास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

(iii) "सिनेमा" से चलचित्र प्रदर्शन के लिए संपूर्ण अनुज्ञप्त स्थल अभिप्रेत है और इसमें अवस्थित सब उपकरण, संयंत्र और औजार भी है;

(iv) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(v) "अनुज्ञप्ति" से चलचित्र प्रदर्शन के लिए अनज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी द्वारा लिखित प्राधिकार अभिप्रेत है और जिसे इन नियमों की परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रपत्र में प्रदान किया जाता है और जो अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के अधीन अधिरोपित किन्हीं निबंधनों या शर्तों के अनुसार आवश्यक उपान्तरण या विस्तारण के अध्याधीन होगा;

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

1-परिभाषाएं-जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात के प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(एक) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 से है;

(दो) "प्रेक्षागृह" का तात्पर्य लाइसेंस प्राप्त परिसर के उस भाग से है जहाँ जनता को फिल्मों का प्रदर्शन अवलोकित करने के लिए वास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

(तीन) "सिनेमा" का तात्पर्य चलचित्र प्रदर्शन एवं डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शनों के लिए संपूर्ण लाइसेंस प्राप्त स्थान से है और उसमें अवस्थित समस्त अनुलग्नक, संयंत्र और साधित्र सम्मिलित है, तथा इसमें मिनीसिनेमा और मल्टीप्लेक्स सम्मिलित है;

(चार) "सक्षम प्राधिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सृजित या स्थापित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण से है जो अपनी अधिकारिता के अधीन भूमि पर प्राधिकार का प्रयोग करता है और उसके पास ऐसी अचल सम्पत्ति के विकास के लिए अनुज्ञा प्रदान करने की शक्तियां हैं।

(पांच) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

(vi) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे कोई लाइसेंस प्रदान किया गया है और इसमें किसी मुख्तारनामा के अधीन उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त उसका अभिकर्ता सम्मिलित है और जिसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में लाइसेंस प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित कर दिया गया है।

(vii) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(viii) "स्थायी भवन" का तात्पर्य किसी ऐसे भवन से है, जिसे पत्थर, गारा, ईट, मार्टर, सीमेन्ट या अन्य अप्रज्वलनशील सामग्री से स्थायी उपयोग के लिए निर्मित किया गया हो;

(ix) "प्रक्षेपक कक्ष" का तात्पर्य सिनेमा के उस भाग से है, जिसमें चलचित्र मशीन परिनिर्मित किया गया है;

(x) "विशेष चलचित्र प्रदर्शन" से ऐसा चलचित्र प्रदर्शन अभिप्रेत है जिसे किसी ऐसे स्थान पर विशिष्ट अवसरों या अवसर पर प्रदान किया जाए जिसका उपयोग सामान्यतः इस प्रयोजन के लिए न किया जाता हो;

(xi) "अस्थायी भवन" का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है, जो एक स्थायी भवन नहीं है और जिसमें बूथ, टेन्ट या तत्सदृश संरचना सम्मिलित है।

(xii) "अस्थायी घेरा" का तात्पर्य विशेष चलचित्र प्रदर्शन के लिए लाइसेंस प्राप्त स्थान या सचल सिनेमा के उस भाग से है, जहां चलचित्र साधित्र रखा जाता है या परिनिर्मित किया जाता है या जहां फिल्में भण्डारित की जाती हैं या भरी जाती हैं;

(xiii) "भरण कक्ष" का तात्पर्य सिनेमा के उस भाग से है, जिसमें चलचित्र फिल्म भण्डारित की जाती है और भरी जाती है।

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(छ:) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस नियमावली के परिशिष्ट-1 में दिये गये प्रपत्र में स्वीकृत चलचित्र प्रदर्शन और डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी लिखित प्राधिकार से है और वह उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (83) के अधीन अधिरोपित किन्हीं निबंधनों या शर्तों के अनुसार आवश्यक उपान्तरणों या विस्तारणों के अध्याधीन होगा।

(सात) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे कोई लाइसेंस प्रदान किया गया है और इसमें किसी मुख्तारनामा के अधीन उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त उसका अभिकर्ता सम्मिलित है। और जिसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में लाइसेंस प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित कर दिया गया है।

(आठ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(नौ) "स्थायी भवन" का तात्पर्य किसी ऐसे भवन से है, जिसे पत्थर, गारा, ईट, मार्टर, सीमेन्ट या अन्य अप्रज्वलनशील सामग्री से स्थायी उपयोग के लिए निर्मित किया गया हो;

(दस) "प्रक्षेपक कक्ष" का तात्पर्य सिनेमा के उस भाग से है, जिसमें चलचित्र मशीन या डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम परिनिर्मित किया गया है;

(ग्यारह) "विशेष चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम प्रदर्शन" का तात्पर्य ऐसे चलचित्र प्रदर्शन से है, जिसे किसी ऐसे स्थान पर विनिर्दिष्ट अवसर या अवसरों पर प्रदान किया जाय जिसका उपयोग सामान्यतः ऐसे प्रयोजन के लिए न किया जाता हो;

(बारह) "अस्थायी भवन" का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है, जो एक स्थायी भवन नहीं है और जिसमें बूथ, टेन्ट या तत्सदृश संरचना सम्मिलित है।

(तेरह) "अस्थायी घेरा" का तात्पर्य विशेष चलचित्र प्रदर्शन के लिए लाइसेंस प्राप्त स्थान या सचल सिनेमा के उस भाग से है, जहां चलचित्र साधित्र रखा जाता है या परिनिर्मित किया जाता है या जहां फिल्में भण्डारित की जाती हैं, या भरी जाती हैं;

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(चौदह) "भरण कक्ष" का तात्पर्य सिनेमा के उस भाग से है, जिसमें चलचित्र फिल्में भण्डारित की जाती हैं और भरी जाती हैं।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

3-नियम 3 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3-भवन निर्माण के लिए आवेदन-

3-भवन निर्माण के लिए आवेदन-

(1) चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थाई भवन का निर्माण करने का इच्छुक कोई व्यक्ति सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को एक आवेदन देगा उसमें उस स्थल को विनिर्दिष्ट करेगा जहां प्रस्तावित भवन निर्मित किया जाना है और साथ ही उसके लिए प्लान और विनिर्देशन का उल्लेख करेगा।

(1) चलचित्र प्रदर्शन/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन के लिए प्रयोग किए जाने हेतु किसी स्थाई भवन का निर्माण करने के किसी इच्छुक व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें योजना और विनिर्दिष्ट सहित वह स्थल विनिर्दिष्ट होगा जहां पर प्रस्तावित भवन निर्मित किया जाना है।

(2) उपरोक्त उपनियम में उल्लिखित प्लान में भवन की ऊंचाई और विभागों प्रस्तावित विद्युत व्यवस्था, संवातन की व्यवस्था, स्वच्छता और वाहन पार्किंग की व्यवस्था और एक फलांग के भीतर संपृक्त परिसरों की तुलना में परिसर की प्रस्थिति और सार्वजनिक स्थल जिस पर भवन स्थित है, शामिल किए जाएंगे।

(2) पूर्वोक्त उपनियम में उल्लिखित योजना में भवनों की ऊंचाइयां और खण्ड, प्रस्तावित विद्युत प्रतिष्ठापन, संवातन, स्वच्छता तथा वाहन पार्किंग की व्यवस्था और 200 मीटर के अर्द्ध व्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर की स्थिति और सार्वजनिक मार्ग जिससे भवन सटा हो, सम्मिलित होंगे।

(3) अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि स्थान प्लान और विनिर्देशों में नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है, आवेदन को अपना अनुमोदन प्रदान करके एक प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकता है। वह अवधि जिसके भीतर भवन का निर्माण पूरा कर दिया जाएगा, भी प्रमाण-पत्र में उल्लिखित की जाएगी।

(3) यदि सक्षम प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि स्थल योजनाएं और विनिर्देश पूर्णतः नियमावली (सिनेमा भवन निर्माण के सुसंगत उपबन्ध) उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 और उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 तथा लागू भवन उपविधियों के अनुरूप है तो वह आवेदन को स्थल योजना और तत्सम्बन्धी विनिर्देशों के अनुसार उसका अनुमोदन संज्ञापित करते हुए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से 60 दिन के भीतर प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकता है।

समस्त सुसंगत दस्तावेजों/अनापत्ति प्रमाणपत्रों/भवन निर्माण योजनाओं सहित उक्त प्रमाणपत्र की प्रति सक्षम प्राधिकरण (विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, विनियमित क्षेत्र या किसी अन्य प्राधिकरण) द्वारा लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

4-नियम 4 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

## 4-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-

चलचित्र के लिए प्रदर्शन के लिए एक नई अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को दिया जाएगा और उसमें परिसर और चलचित्र मशीन के स्वामित्व की पूरी विशिष्टियां दी जाएगी और उनके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे-

(क) प्लान का नियम 3(1) के अधीन आदेश या अनुमोदन;

(ख) भवन और परिसर का प्लान जिसमें नियम 3 के उपनियम (2) में प्रगणित विनिर्देश शामिल हों;

(ग) प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग सीटिंग व्यवस्था का प्लान;

(घ) सरकार के विद्युत निरीक्षक की ओर से प्रमाण-पत्र के विद्युत प्रस्थापन अपेक्षित मानकों के और प्रचलित नियमों के अनुरूप है।

(ङ) अधिकारिता रखने वाले स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से प्रमाण-पत्र की स्वच्छता व्यवस्था प्रचलित नियमों के अपेक्षाओं के अनुरूप है; और

(च) अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अग्नि शमन अधिकारी की ओर से प्रमाण-पत्र कि प्रदान की गई अग्नि शमन यंत्रों की व्यवस्था और आग के विरुद्ध बरती गई सावधानी प्रचलित नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

## 4-लाइसेंस के लिए आवेदन-

चलचित्र प्रदर्शन अथवा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शनों के लिए नया लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु आवेदन लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु आवेदन परिशिष्ट-तीन में उल्लिखित प्रपत्र में लाइसेंस प्राधिकारी को किया जाएगा और उसमें परिसर और चलचित्र मशीन/डिजिटल प्रोजेक्शन मशीन के स्वामित्व की पूर्ण विशिष्टियां सम्मिलित होंगी और उनके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे-

(क) सुसंगत उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मौलिक स्थल एवं परिसर योजना सहित परिसर तथा चलचित्र प्रोजेक्टर/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के स्वामित्व और 200 मीटर अर्द्धव्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर और सार्वजनिक मार्ग जिससे भवन सटा हो, की अवस्थिति का प्रमाण-पत्र।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित भवन योजना सहित मूल सन्निर्माण आदेश, जिसमें भवन की ऊँचाईयां तथा खण्ड, प्रस्तावित विद्युत प्रतिष्ठापन, संवातन, स्वच्छता तथा वाहन पार्किंग की व्यवस्था सम्मिलित है।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था सम्बन्धी योजना।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संरचनात्मक सुरक्षा तथा स्थायित्व संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित पूर्णता प्रमाण-पत्र/अधिभोग प्रमाण-पत्र।

(ङ) सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का यह प्रमाण-पत्र कि विद्युत अधिष्ठान अपेक्षित मानकों और विद्यमान नियमों और उपपिधियों के अनुरूप हैं।

(च) उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम-13 और भवन एवं विकास उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वच्छता व्यवस्था का विवरण,

(छ) सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (अग्निशमन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसकी अधिकारिता हो, का यह प्रमाण-पत्र कि उपलब्ध कराये गये अग्निशमन साधित्रों की व्यवस्थाएं और अग्नि के विरुद्ध अपनायी गयी सावधानियां विद्यमान नियमों और उपविधियों के अनुरूप है।

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(छ) (एक) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी राजय सरकार द्वारा यथा विहित रीति से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात् 30 दिन के भीतर लाइसेंस स्वीकृत करेगा या लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकृत करेगा और उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

(दो) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित अपना आवेदन विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदन समस्त प्रकार से पूर्ण है और आवेदक पात्र है, तो लाइसेंस 30 दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जायेगा और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदक, उक्त लाइसेंस, विभागीय वेब पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकता है।

परन्तु यदि लाइसेंस तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या उसे दबाकर या कूट रचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसा लाइसेंस अकृत और शून्य समझा जायेगा और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

5-नियम.5 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

स्तम्भ 1

विद्यमान नियम

5-विद्युत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण-पूर्ववर्ती नियम के खण्ड (घ) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र देने के प्रयोजन के लिए विद्युत निरीक्षण भवन का निरीक्षण करेगा और उक्त खंड की अपेक्षाएँ अस्थायी रूप से अनुज्ञप्ति देने वाले अधिकारी द्वारा अभियुक्त प्रदान की जा सकेंगी जहां विद्युत निरीक्षक आवेदक से लिखित में आवेदन प्राप्त होने पर तब से छह सप्ताह के लिए निरीक्षण करने में असमर्थ रहा है।

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5-विद्युत प्राीष्ठानों और सुरक्षा के लिए निरीक्षण-पूर्ववर्ती नियम के खण्ड (ड) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक र.। उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, भवन का निरीक्षण करेगा और उक्त खंड की अपेक्षाएँ अस्थायी रूप से लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अभियुक्त की जा सकेंगी, जहां विद्युत सुरक्षा विभाग का प्राधिकृत अधिकारी, आवेदक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, उसक छह सप्ताह में निरीक्षण करने में असमर्थ रहा है।

6-नियम 6 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

स्तम्भ 1

विद्यमान नियम

6-स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निरीक्षण-उसी तरह से स्वास्थ्य

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6-स्वच्छता और अग्निशमन व्यवस्था हेतु निरीक्षण-लाइसेंस प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय अग्नि शमन अधिकारी, प्रमाण-पत्र प्रदान करने से पहले परिसर और भवन का निरीक्षण करेंगे और जहां वे लिखित अनुरोध प्राप्त करने के बाद छः सप्ताह के भीतर निरीक्षण करने में असमर्थ होते हैं, उनके प्रमाण-पत्र को दाखिल करने की अपेक्षाएं अस्थायी तौर पर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी द्वारा अभिमुक्त की जा सकती है।

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

प्राधिकृत व्यक्ति और सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय अग्नि शमन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने से पूर्व परिसर और भवन का निरीक्षण करेंगे और जहां वे लिखित अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर निरीक्षण करने में असमर्थ हों, वहाँ उनके प्रमाण-पत्र दाखिल करने से सम्बन्धित अपेक्षाएं अस्थायी रूप से लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अभिमुक्त की जा सकती है।

7-नियम 7 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नियम-7 में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए उपनियम (1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 दिये गये उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्—

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

7-अनुज्ञप्ति का प्रदान करने और उसे नवीकृत करने की शर्तें—

(1) किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अनुज्ञप्ति जब तक प्रदान नहीं की जाएगी या नवीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि (i) वह या उसका अभिकर्ता जो कि नियम 2 (vi) में संदर्भित प्रयोजन के लिए नियुक्त है, उस शहर, नगर या क्षेत्र का निवासी है जिसकी सीमा के भीतर चलचित्र का प्रदर्शन तात्पर्यित है; और

(ii) अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उन नियमों की अपेक्षाओं को पूरी तरह से पूरा कर दिया गया है।

(2) 1 अगस्त, 1974 के पहले चलचित्र प्रदर्शन के लिए पहले से अनुज्ञप्त भवनों को छोड़कर किसी भवन को इस प्रकार से अनुज्ञप्त नहीं किया जाएगा—

(क) यदि यह राजभवन, राज्य सचिवालय, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग या राजस्व बोर्ड के 200 मीटर की परिधि के भीतर अवस्थित है; या

(ख) यदि यह इनसे 75 मीटर की परिधि की भीतर अवस्थित है,

(i) कोई मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था (प्राइमरी स्कूल से भिन्न) या किसी निवासी संस्था जो उससे संबद्ध हो; या

(ii) किसी जनता अस्पताल जिसमें 25 या अधिक अंतरंग मरीज हो; या

(iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या जिला सिविल या डाण्डिक न्यायालय के विभागाध्यक्ष के कार्यालय का कोई भवन; या

(iv) कोई अन्य संस्था जिसे सरकार ऐसी संस्था के रूप में घोषित करना लोक हित में आवश्यक समझे जिसको यह खंड लागू होता हो; या

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

7-लाइसेंस प्रदान करने और उसे नवीकृत करने की शर्तें—

(1) (एक) कोई लाइसेंस किसी व्यक्ति के पक्ष में तब तक स्वीकृत या नवीकृत नहीं किया जायेगा जब तक नियम-2 (7) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त वह या उसका अभिकर्ता/प्रबन्धक उस जिले में निवास नहीं करता है जिसमें चलचित्र प्रदर्शन किया जाना आशयित हो।

(दो) लाइसेंस प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सुसंगत नियमों की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।

(2) दिनांक 1 अगस्त, 1974 के पहले चलचित्र प्रदर्शन या डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन के लिये पहले से लाइसेंस प्राप्त भवन को छोड़कर किसी भवन को लाइसेंस नहीं प्रदान किया जायेगा यदि वह राजभवन, राज्य सचिवालय या उच्च न्यायालय के 200 मीटर के अर्द्ध व्यास में स्थित हो।

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(ग) यदि किसी ऐसे पर्याप्त कारण के लिए जिसे अभिलेख किया जाएगा, अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस भवन के स्थान पर किसी सिनेमा की अवस्थिति लोक हित में नहीं है।

परन्तु अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही इस खण्ड के अधीन अनुज्ञप्ति देने से इंकार करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए यह अवधारित करेगा कि कोई जनता अस्पताल या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था क्या है और इसका निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा।

8-नियम 8 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

8-स्थायी भवनों की अपेक्षाएँ—कोई स्थाई भवन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी की जाएंगी—

(i) इसमें पर्याप्त प्रकाश संवाहक की व्यवस्था की जायेगी

(ii) यदि यह पूरी तरह से अलग है तो इसके और अन्य भवनों के बीच की दूरी 20 फीट से कम नहीं होगी और चारों तरफ खाली स्थान रखा जाएगा ताकि आग लगने की दशा में दर्शकगण जल्दी से इधर-उधर छिटक सकें और उस जगह पर अग्नि इंजन और अग्नि शमक उपकरण आसानी से ले जाया जा सके;

(iii) यदि यह पूरी तरह से अलग नहीं है तो उसमें दो या अधिक अलग-अलग रास्ते रखे गए हों और निकासी के लिए प्रत्येक समय मुक्त मार्ग के लिए खाली जगह छोड़े जाएंगे। भिन्न-भिन्न रास्ते या खुले स्थान की पर्याप्त चौड़ाई रखी जाएगी ताकि दर्शकगण आग लगने की स्थिति में जल्दी से तितर-वितर हो जाएं और अग्नि इंजनों और और अन्य अग्नि शमक उपकरणों को वहां आसानी से ले जाया जा सके।

परन्तु निकासी के उपरोक्त माध्यमों में से एक की चौड़ाई स्पष्टतः 35 फीट होगी जिसमें फुटपाथ भी होगा वह आर-पार जाने का मार्ग होगा।

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

8-स्थायी भवनों की अपेक्षाएँ—किसी स्थाई भवन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी की होंगी—

(i) इसमें पर्याप्त प्रकाश संवाहक की व्यवस्था की जायेगी

(दो) सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/मिनी सिनेमा के स्थल और स्थायी भवन निर्माण हेतु सिनेमा भवन सन्निर्माण उपविधि, 1987 और राज्य भवन निर्माण और विकास उपविधियों और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सिनेमेटोग्राफ रूल्स 1951 की समस्त अपेक्षाओं/प्रतिमानों और सुसंगत उपबन्धों को पूरा करना होगा।

(तीन) जहाँ सम्भव हो कदमों के स्थान पर ढाल या झुके हुये तलों का उपयोग किया जायेगा किन्तु कोई ढाल या झुका हुआ तल 10 में 1 से अधिक ढालदार नहीं होगा।



स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(iv) सामने का स्थान पर्याप्त रूप से लम्बा होगा और भवन के दो तरफ बरांडा होंगे;

(v) यदि बैठने का स्थान 1000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रखा गया है तो इससे दूसरे भवन की दूरी उतनी रखी जाएगी जितनी अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी विशिष्टतः लिखित आदेश द्वारा अपेक्षित करें;

(vi) इसे किसी अन्य भवन के नीचे या ऊपर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी की विशिष्ट लिखित मंजूरी के बिना नहीं बनाया जाएगा;

(vii) जहां यह किसी अन्य भवन के एकदम समीप बना हुआ है वहां इसे किसी दीवार या अन्य अग्नि शमक सामग्री द्वारा अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से पृथक किया जाएगा जिसका इस संबंध में निर्णय कि क्या कोई दूसरा भवन एकदम समीप स्थित है, अंतिम होगा। दीवारों या भवन के किसी हिस्से में कोई दरवाजा, जिससे आग अगल-बगल वाले भवन में जा सके, नहीं रखा जाएगा;

(viii) आडिटोरियम की तल और सीलिंग या ठीक ऊपर वाले ढक्कन की दूरी 12 फीट से कम की नहीं होगी;

(ix) लैंडिंग, दरवाजों, सीढ़ियों, लॉबी और कारीडोर की मोटाई यदि 400 या उसे कम व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई हो तो कम से कम 4 फीट 6 इंच की होगी और यदि 400 से अधिक व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है तो कम से कम 6 फीट होगी।

परन्तु इस उपनियम के प्रयोजन के लिए बालकनी को एक अलग बैठने का स्थान माना जाएगा कि भूतल के लिए आडिटोरियम की पूरी सीटिंग क्षमता पर विचार किया जायेगा;

(x) सभी सीढ़ियां अप्रज्वलनीय सामग्री की बनाई जायेंगी जिसमें प्रत्येक कदम कम से कम 10 इंच चौड़ा और 7 इंच ऊंचा होगा। प्रत्येक मोड़ पर अधिक से अधिक 15 कदम और कम से कम 3 कदम रखे जायेंगे;

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(चार) पहले से विद्यमान सिनेमाघरों में जनता के उपयोग के लिए समस्त निकास द्वार कम से कम 7 फीट ऊंचे और 4 फीट 6 इंच चौड़े होंगे और इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् लाइसेंस प्राप्त सिनेमाओं में कम से कम 7 फीट 6 इंच ऊंचे और 5 फीट चौड़े होंगे, चौड़ाई की माप खड़े दरवाजे के पल्लों के मध्य से की जायेगी। दरवाजे बाहर की ओर खुलेंगे और खुलने पर किसी गैंगवे, पैसेज, सीढ़ी, लैंडिंग या लॉबी में रुकावट नहीं करेंगे किन्तु फलश दीवारों के पीछे की ओर रखा जायेगा।

(पांच) यात्री समान पर, जहाँ उपबन्धित हो, इस प्रकार अवस्थित किये जायेंगे कि किसी विद्यमान कारीडोर या दर्शकों के अन्य निकास मार्ग हेतु स्वतंत्र उपयोग के लिए कोई व्यवधान न हो।

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(xi) सभी लैंडिंग सीढ़ी पैसेज और गैंगवे का तल पर्याप्ततः मजबूत बनाया जाएगा जिसमें 120 एलबी सचल भार प्रति वर्ग फीट ढोने की क्षमता होगी और उसे अग्निप्रूफ सामग्री द्वारा बनाया जाएगा;

(xii) ऊपरी मंजिल से भूतल पर जाने वाली प्रत्येक सीढ़ी में दोनों तरफ ईट या अन्य अग्नि अवरोधक सामग्री से बनाया जाएगा। जो उन सभी मंजिलों से पास होगी और आडिटोरियम में कोई दरवाजा अपेक्षित किए जाने पर ही ऊपर वाली मंजिल जिससे वह संबंधित है, रखा जाएगा। ऊपर मंजिल को जाने वाली सीढ़ी में, तथापि, एक ओर, दीवार के स्थान पर पर्याप्त, मजबूत हैंड्रिल या ब्लस्टर लगाए जा सकते हैं। प्लेटफार्म और लैंडिंग जो कि सीढ़ियों की चौड़ाई से अधिक का हिस्सा हो, को छोड़कर संलग्न सीढ़ियों में दोनों ओर मजबूत हैंड्रिल लगाए जाएंगे जिन्हें दीवारों से तीन इंच की गहराई से मजबूत धातु निर्मित छुल्लों से जड़ दिया जाएगा। जनता के प्रयोग के लिए तात्पर्यित सभी ऊपरी मंजिलों में कम से कम दो सीढ़ियां रखी जाएंगी;

(xiii) कोने पर मुड़ने वाली सीढ़ियों में प्रत्येक मोड़ पर उचित लैंडिंग रखी जाएगी और उनमें कोई खुला स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, सभी लैंडिंग में आकस्मिक प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी;

(xiv) जाहें सम्भव हो कदमों के स्थान पर ढाल या झुके हुये तलों का उपयोग किया जायेगा, किन्तु कोई ढाल या झुका हुआ तल 10 में 1 से अधिक ढालदार नहीं होगा;

(xv) पहले से विद्यमान सिनेमाओं में जनता के उपयोग के लिए समस्त निकास द्वार कम से कम 7 फीट ऊंचे और 4 फीट 6 इंच चौड़े होंगे और इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात लाइसेंस प्राप्त सिनेमाओं में कम से कम 7 फीट 6 इंच ऊंचे और 5 फीट चौड़े होंगे, चौड़ाई की माप खड़े दरवाजे के पल्लों के मध्य से की जायेगी। दरवाजे बाहर की ओर खुलेंगे और खुलने पर किसी गैंगवे, पैसेज, सीढ़ी लैंडिंग या लॉबी में रूकावट नहीं करेंगे किन्तु फलश दीवारों के पीछे की ओर रखा जायेगा।

(xvi) अमानती समान घर जहाँ उपबन्धित हो इस प्रकार किये जायेंगे कि किसी विद्यमान कारीडोर या दर्शकों के अन्य निकास मार्ग हेतु स्वतः उपयोग के लिए कोई व्यवधान न हो।

स्तम्भ 2  
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

9-नियम 9 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

9-स्थायी भवन के लिए अनुज्ञप्ति-अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी स्थायी भवन की बाबत, चलचित्र के प्रदर्शन के लिए कोई अनुज्ञप्ति, तीन वर्ष से अनधिक न हो, की अवधि के लिए जो कि एक बार में तीन वर्ष से अनधिक न हो, की सदृश अवधि के लिए समाप्त होने पर नवीकृत की जाएगी, अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी।

10-नियम 10 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

10-इन नियमों को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाने से पूर्व प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति ऐसे प्रकाशन की तिथि के बाद तीन माह के भीतर समाप्त समझी जाएगी जब तक अनुज्ञप्ति की अवधि उस तिथि से पहले समाप्त न हो गई हो।

परन्तु यदि अवधि एक माह से अधिक है, तो अनुज्ञप्ति फीस की समानुपाती राशि निकटतम आने तक वापस की जाएगी। ऐसे मामलों में वापसी का आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को किया जाएगा।

11-नियम 11 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

11-विद्युत अपेक्षार्य-नियम-8 में निर्दिष्ट विद्युत अपेक्षाओं के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के उपबन्धों और उसका अधीन बनाए गए नियमों का जहां तक वे सिनेमा को लागू होते हैं अनुपालन करेगा।

12-नियम 13 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नियम-13 में नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान उननियम-(आठ) और (नौ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

(viii) भवन के हाल के दरवाजे और खिड़कियां प्रत्येक सुबह कम से कम तीन घंटे तक खोल कर रखे जायेंगे और शौ के बीच में कम से कम आधे घण्टे के लिए खोले जायेंगे। दो शौ के बीच में आधे घण्टे के मध्यान्तर के दौरान, आडिटोरियम को स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदित एअरोसल द्वारा प्रदूषण मुक्त किया जायेगा। आडिटोरियम को प्रत्येक सुबह झाड़ू-बुहारू, धुलाई और प्रदूषण मुक्त किया जाएगा।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

9-स्थायी भवन के लिए लाइसेंस-स्थायी भवन के सम्बन्ध में चलचित्र प्रदर्शन अथवा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन के लिए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस अनधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जा सकेगा, जो कि एक बार में अनधिक पांच वर्ष की सदृश अवधि की समाप्ति पर नवीकरणीय होगा।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

10-निकाल दिया गया।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

11-विद्युत अपेक्षार्य-नियम-8 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त लाइसेंसधारी विद्युत अधिनियम, 2003 और नियमावली तथा विभागीय उपविधियों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा, जहां तक वे सिनेमा और मल्टीप्लेक्स के लिए प्रयोज्य हो।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

(आठ) भवन के हालों के दरवाजे और खिड़कियां प्रत्येक सुबह कम से कम तीन घंटे तक और प्रदर्शन के मध्य कम से कम आधे घण्टे तक खुले रखे जायेंगे। दो प्रदर्शनों के मध्य आधे घण्टे के अन्तरालों के दौरान प्रेक्षागृह को मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित एअरोसल द्वारा रोगाणुनाशित किया जायेगा। प्रेक्षागृह में प्रत्येक सुबह झाड़ू लगाया जायेगा, सफाई की जायेगी और उसे रोगाणुमुक्त किया जायेगा।

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(ix) स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी चलचित्र अधिनियम, 1918 (1918 का 11) के अधीन अनुज्ञप्त सभी सिनेमाओं जो नगर सीमा के भीतर अवस्थित हों, में यह देखने के लिए आवधिक निरीक्षण करने का जिम्मेदार होगा कि नियमों के अधीन यथा उपबंधित परिसरों की सफाई के लिए उन्हें नियमों में विहित किया गया है, प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर पालन किया जाएगा।

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(नौ) लाइसेंस प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अधिनियम के अधीन नगर पालिका सीमा/स्थानीय क्षेत्र में स्थित लाइसेंसप्राप्त सभी सिनेमाओं ने यह देखने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नियमावली के अधीन यथाउपबंधित स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं और परिसरों की सफाई व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जा रहा है। और नियमावली में यथाअधिकथित इस सम्बन्ध में दिये गये अनुदेशों का विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रबंधन द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

13-नियम 14 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

स्तम्भ 1

विद्यमान नियम

4-बैठने का स्थान-

(i) लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से सीटों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करेगा और उसे लाइसेंस में निर्दिष्ट किया जायेगा और सिनेमा के प्रत्येक श्रेणी के प्रवेश द्वार पर खड़े अक्षरों में लिखा जायेगा।

(ii) लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी मल्टीप्लेक्स या किसी तल सहित किसी स्थायी सिनेमा भवन में सीटिंग की अनुमति प्रदान कर सकता है यदि वह सन्तुष्ट है कि ऐसा स्थायी सिनेमा या मल्टीप्लेक्स भवन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निर्मित किया गया है और अग्नि सुरक्षा उपायों, प्रवेश-निकास मार्गों और दर्शकों के लिए आपातकालीन मार्ग, विद्युत सुरक्षा उपायों और संवेदनशील स्थानों से पर्याप्त दूरी, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये गये हैं, की व्यवस्था उसमें की गयी है। इस उपनियम के प्रयोजन के लिए

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-बैठने का स्थान-

(एक) लाइसेंस प्राधिकारी अधिकतम संख्या में प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग सीटों का अवधारण करेगा और उसे लाइसेंस में विनिर्दिष्ट किया जायेगा और प्रत्येक श्रेणी के सिनेमा प्रवेश द्वार के निकट प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(दो) लाइसेंस प्राधिकारी किसी स्थायी सिनेमा भवन, जिसके अन्तर्गत मल्टीप्लेक्स भी सम्मिलित है, में किसी भी तल पर सीटिंग की अनुमति प्रदान कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे स्थायी सिनेमा अथवा मल्टीप्लेक्स भवन का निर्माण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया गया है और उसमें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित सिनेमा भवन सन्निर्माण उपविधि, 1987 में यथा निर्धारित अग्निसुरक्षा उपाय, दर्शकों के लिए प्रवेश-निकास मार्ग एवं आपात कालीन मार्ग, विद्युत सुरक्षा उपाय, संवेदनशील स्थानों से पर्याप्त दूरी, सीटिंग व्यवस्था और सीढियों आदि के सम्बन्ध में अपनाए गये हैं।

स्पष्टीकरण-

1- "सक्षम प्राधिकारी" का आशय है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भवन निर्माण योजना को स्वीकृति देने हेतु एक सक्षम प्राधिकारी।

2- "मल्टीप्लेक्स" का अर्थ है, व्यापारिक सांस्कृतिक तथा अन्य मनोरंजन से संबंधित सुविधाओं से युक्त एक ही परिसर में स्थित दो या अधिक सिनेमा हाल का समूह या संपिण्डन।

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

(iii) सीटिंग की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि निकासी मार्ग को मुक्त रूप से ले जाया जा सके।

(iv) प्रत्येक व्यक्ति के लिए छोड़ा गया सीटिंग स्पेस 18 इंच से कम का नहीं होगा। सीटों में प्रत्येक व्यक्ति को पीठ रखने और हाथ रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(v) सीटों की कतारें इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी कि अभिलंबित माप करने पर पीछे की कतार की सीट का सबसे सामने वाले हिस्से से पीछे वाली किसी सीट के बीच कम से कम 15 इंच का स्पष्ट स्पेस छोड़ा जाएगा।

(vi) बाक्सों का छोड़कर, सभी सीटें तल से जोड़ी जायेंगी अथवा पूरी लम्बाई में एक साथ मजबूती से जोड़ी जायेंगी। पूरी लाइन तल से मजबूती से जोड़ी जायेंगी। स्थायी भवन में तल पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) सीटों के सामने की कतार और स्क्रीन के बीच की दूरी कम से कम 18 फीट होगी।

14-नियम 15 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

15-निकासी-चारों तरफ कम से कम तीन फीट और बीच में कम से कम चार फीट चौड़ा स्पष्ट गैंगवे रखा जाएगा और उसे इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि गैंगवे से किसी सीट की दूरी 10 फीट से अधिक न हो।

परन्तु 30 फीट से कम चौड़े आडिटोरियम में बीच के गैंगवे को विलोपित किया जा सकेगा। किसी कारण से गैंगवे की बीच में अस्थायी सीटें नहीं रखी जायेंगी।

(i) अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी, आडिटोरियम में सीटों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखकर, यह अपेक्षा कर सकता है कि निर्दिष्ट चौड़ाई का एक गैंगवे या कई गैंगवे सीटों की कतारों के समानान्तर रखे जाएँ ताकि निकासी मार्ग को सीधे जाया जा सकें।

(ii) पर्याप्त संख्या में स्पष्टतः इंगित निकासी द्वारों, जैसा कि अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी अवधारित करे, की व्यवस्था की जाएगी ताकि दर्शकों को सुरक्षित और त्वरित गति से बाहर निकाला जा सके।

(iii) सभी द्वार, जिनसे होकर सीढ़ियाँ कोरिडोर या निकासी का अन्य मार्ग प्रयोग करके जनता को जाना होता है, प्रदर्शन के दौरान साकर हटाए हुए रखे जायेंगे।

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

15-निकासी-सीढ़ी और निकास से सम्बन्धित उपबन्ध, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित सिनेमा भवन सन्निर्माण उपविधि, 1987 के अनुरूप होंगे।

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(iv) प्रत्येक समय मार्गों, गैंगवे, कोरिडोर, लैंडिंग और लाबी सभी प्रकार के रूकावटों से मुक्त रखे जायेंगे ताकि उनसे शीघ्रता से बाहर आया जा सक।

(v) मार्गों, गैंगवे या कोरिडोर की दीवारों पर कोई छिद्र नहीं होगा और न ही वहाँ पर तल से 6 फीट की ऊँचाई की भीतर कोई प्रक्षेपण होगा। भूतल स्तर से 6 फीट से कम ऊँचाई पर कोई प्रकाश-पुंज नहीं लटकाया जाएगा। इस उपनियम के क्षेत्र के भीतर अग्निशमन यंत्र शामिल नहीं है।

(vi) प्रत्येक तल या गैलरी के लिए एक ही रास्ते को जाने वाली दो निकासियों को नहीं रखा जाएगा और कोई सीढ़ी किसी निकासी के पीछे या उसके आर-पार जाकर किसी मार्ग या कोरिडोर में समाप्त नहीं होगी, बशर्ते कि अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी किसी व्यवस्था को स्वीकार कर सकता है जिससे पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

15-नियम 17 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

17-(1) निम्नलिखित अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी-

प्रकोष्ठ में- एक कम्बल, एक बाल्टी सूखी रेत और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैटर्न का एक सी0टी0एस0 उपशमक

आडिटोरियम में- अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैटर्न के चार पोर्टेबल अग्निशामक और भूतल क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग फिट क्षेत्रफल के लिए कम से कम पांच गैलन पानी की आपूर्ति जिसे निम्नलिखित रीति से रखा जाएगा:

कुल आपूर्ति का 33 प्रतिशत या 60 गैलन जो अधिक हो, दो या तीन गैलन क्षमता की बाल्टियों में आडिटोरियम के भीतर रखा जाएगा और शेष पानी किसी टैंक या घड़े या बाल्टियों में, जिनकी कोई क्षमता हो सकती है, इस तरह से रखा जाएगा कि उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके, इस तरह की व्यवस्था को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(2) इन उपकरणों को इस प्रकार से रखा जायेगा कि उन्हें उपयोग के लिए तुरन्त उठाया जा सकें। बाल्टियों के पेन्डे गोल होंगे और उनमें हैण्डल लगे होंगे। उन पर लाल रंग से पेन्ट किया जाएगा अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में "फायर" लिखा जाएगा और स्थानीय भाषा में भी लिखा जायेगा।

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

17-अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन साधित्रों या था अग्निशामक मशीन, फायर एड हॉज रील, डाउन कमर, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रानिक फायर अलार्म सिस्टम, टेरेस टैंक, टेरेस पम्प की व्यवस्थायें भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों में निर्धारित उपबन्धों और राष्ट्रीय भवन संहिता में विहित मानकों के अनुसार होंगी।



16-नियम 18 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

18-भवन के सिनेमा से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने का प्रतिषेध-सिनेमा का कोई हिस्सा किसी रेस्तराँ ठहरने दुकान कारखान, कार्यशाला या निर्माणशाला के रूप में या भण्डारण के प्रयोजन के लिए या भोजन व पेय तैयार करने या विक्रय करने के लिए, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की मंजूरी और इस निमित्त उसके द्वारा यथा अधिरोपित और विनिर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अधीन के बिना प्रयुक्त नहीं किया जाएगा और न ही दिन या रात में सिनेमा का कोई हिस्सा आवास के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।

17-नियम 20 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

20-प्रक्षेपण कक्ष और वाइडिंग कक्ष में खुली आग या धूम्रपान का प्रतिषेध-प्रक्षेपण कक्ष या विडिंग कक्ष के भीतर किसी माचिस और मोमबत्ती या किसी अन्य खुली आग की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे प्रत्येक कक्ष में बड़े-बड़े लाल अक्षरों में "धूम्रपान पूरी तरह निषिद्ध" का एक नोटिस लगाया जायेगा।

18-नियम 25 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नियम-25 में, निम्नलिखित टिप्पणी अन्त में बढ़ा दी जायेगी-टिप्पणी-नियम-(19), (21), (22), (23), (24) और (25) में उल्लिखित उपर्युक्त उपबन्ध उन सिनेमाओं पर लागू नहीं होंगे जहाँ डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम द्वारा प्रदर्शन किया जाता हो।

19-नियम 26 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-26 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

**26-आपरेटर-**

(i) प्रत्येक प्रोजेक्ट को नियंत्रित करने के लिए कम से कम दो आपरेटर लगाये जायेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त मशीन के लिए एक अतिरिक्त आपरेटर लगाया जाएगा जिनके पास वैध परमिट हो और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी मिस्त्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदर्शन के दौरान मशीन से दस फीट की दूरी के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मशीन के पास पहुँचने के बाद उसे अपने नियंत्रण में करने की आपरेटरों की पूरी जिम्मेदारी होगी। अन्य आपरेटर मशीन और प्रक्षेपण कक्ष और विडिंग कक्ष के प्रभारी होंगे।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

18- निकाल दिया गया।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

20-सिनेमा परिसर में खुली आग या धूम्रपान का प्रतिषेध-प्रेक्षागृह सहित सिनेमा परिसर में खुली आग और धूम्रपान की अनुमति नहीं दी जायेगी। सिनेमा/मल्टीप्लेक्स परिसर के प्रमुख भागों में लाल अक्षरों में शब्द "धूम्रपान सर्वथा प्रतिषिद्ध" सम्बन्धी सूचना प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**26-आपरेटर-**

(1) विद्यमान परमिट धारक प्रत्येक अतिरिक्त मशीन के लिए कम से कम दो आपरेटर और एक अतिरिक्त आपरेटर, प्रत्येक प्रोजेक्टर को अभिचालित करने के लिए लगाये जायेंगे और स्वयं लाइसेंस धारी या लाइसेंस धारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी तकनीशियन को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदर्शन के दौरान मशीन से दस फीट की दूरी के अन्तर्गत जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आपरेटरों के मशीन के पास पहुँचने के पश्चात् फिल्मों का प्रभार ग्रहण करने के लिए किसी एक आपरेटर मशीन, प्रोजेक्शन कक्ष या प्रचालन बाक्स के प्रभारी होंगे।



## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

(ii) आपरेटर का परमिट अनुज्ञापति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट II पर पर दिये गये फार्म में दिया जायेगा और प्रत्येक ऐसे परमिट के लिए रू0 20 की फीस ली जायेगी। तथापि सरकारी नौकरी करने वाले आपरेटरों को जारी परमितों के लिए कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(iii) आपरेटर को परमिट प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि वह—

(क) चलचित्र मशीन का कार्यचालक ज्ञान न रखता हो और विशिष्टतः उस तरह की मशीन का कार्यचालक ज्ञान न रखता हो जिसे उसे चलाना हो;

(ख) अग्नि के विरुद्ध सावधानियों से सम्बन्धित अधिरोपित नियमों और शर्तों से पूरी तरह से परिचित न हों;

(ग) आग लगने से निपटने के लिए (त्वरित और प्रभावी रीति से पूर्णतः परिचित हों);

(घ) फिल्मों के संचालन विडिंग, मरम्मत और धुलाइ करने में प्रवीण न हो।

20-नियम 28 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नियम-28 में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान उप हनयत के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्—

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

(1) किसी सचल सिनेमा के लिए अनुज्ञापति प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति उस जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रस्तावित प्रदर्शन किया जाना है और अपने आवेदन के साथ भवन का एक प्लान और वर्णन संलग्न करेगा। प्लान में आडिटोरियम के भीतर सीटिंग व्यवस्था, निकासी, गैंगवे, गलियारे और ढांचे (यदि कोई हों), को दर्शाया जायेगा।

21-नियम 29 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-29 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्—

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

29-सचल सिनेमाओं का विशेष चलचित्र प्रदर्शन के लिए प्रकोष्ठ—एक "अस्थायी प्रकोष्ठ" में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी की जायेंगी:

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) किन्तु डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के मामले में केवल दो आपरेटरों को अनुमति होगी।

(3) आपरेटर परमिट लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट दो में दिये गये प्रपत्र में स्वीकृत किया जायेगा और ऐसे प्रत्येक परमिट के लिए 200 रुपये प्रभार्य होगा। तथापि सरकारी नियोजन वाले आपरेटरों को जारी परमितों के सम्बन्ध में कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

(4) आपरेटर को कोई परमिट तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि वह—

(क) चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्टर मशीन और विशिष्टतः उस प्रकार की मशीन, जिसे उसे प्रचालित करना हो, का कार्य साधक ज्ञान न रखता हो;

(ख) अग्नि के विरुद्ध सावधानियों से सम्बन्धित अधिरोपित नियमों और शर्तों से पूरी तरह से परिचित न हों;

(ग) आग लगने से निपटने के लिए (त्वरित और प्रभावी रीति से पूर्णतः परिचित हों);

(घ) फिल्मों के संचालन विडिंग, मरम्मत और धुलाइ करने में प्रवीण न हो।

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) किसी संचल सिनेमा के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को उस जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा जिसकी अधिकारिता में प्रस्तावित प्रदर्शन किया जाना है और अपने आवेदन-पत्र के साथ भवन योजना और तत्सम्बन्धी विवरण और उस क्षेत्र के अग्नि, विद्युत सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। उक्त योजना में प्रेक्षागृह के भीतर सीटिंग व्यवस्था, निकास, सीढ़ी रास्ता और ढांचा (यदि कोई हों), दर्शाया जायेगा।

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

29-सचल सिनेमाओं का विशेष चलचित्र प्रदर्शन के लिए घेरा—एक "अस्थायी घेरा" में निम्नलिखित अपेक्षाओं पूर्ति होगी—

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

(1) ढाँचा निर्माण-इसमें एक धूम्रसह बाक्स होगा जिसे शीट आयरन या मजबूत ढाँचे के स्टील द्वारा निर्मित किया जायेगा और मजबूती से जकड़ दिया जायेगा। छत से जमीन की आंतरिक ऊँचाई कम से कम 10 फीट होगी। जमीन 48 वर्ग फीट होगी, यदि एक मशीन संचालित की जाए और 24 वर्ग फीट प्रत्येक अतिरिक्त मशीन के लिए होगी, यह जरूरी है। कक्ष की चौड़ाई इतनी रखी जायेगी कि मशीन के पीछे पर्याप्त जगह छोड़ी जा सके ताकि आपरेटर आसानी से घूम सके। भवन प्रत्येक स्थिति में स्थायी भवन के प्रक्षेपण कक्ष की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, बशर्ते कि यदि अस्थायी प्रकोष्ठ एक नियत स्थान पर निर्मित किया जाता है या परिसर में बनाया जाता है और पोर्टेबल उपकरण के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता है कि ताकि टूटने का जोखिम न हो, तो ऐसा प्रकोष्ठ एस्बेस्टस शीटिंग का बनाया जाए या एक बड़े अग्नि अवरोधी ढाँचे पर अग्नि अवरोधी किसी अन्य सामग्री का बनाया जाय, और प्रयुक्त की गयी अग्नि अवरोधी सामग्री क्षेत्रीय अग्नि अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

(2) विद्युत और अन्य आवश्यक साधित्र-अस्थायी घेरा के भीतर सभी साधित्र उसी प्रकार से किसी स्थायी भवन में सदृश साधित्र के लिए विहित आपेक्षाओं को इस बात के सिवाय पूरा करेंगे कि ऐसे साधित्र पोर्टेबल हो सकते हैं।

(3) सामान्य कार्य प्रणाली अग्नि शमन उपकरण, ज्वलनशील सामग्रियों का प्रतिषेध, धूम्रपान प्रकाश, माचिस, फिल्म रिविडिंग, आपरेटरों और लाइसेन्सधारी अथवा तकनीशियन से भिन्न व्यक्तियों के अप्रवेश से सम्बन्धित स्थायी भवन के प्रक्षेपण कक्षों के लिए विहित नियम, अस्थायी घेरा के लिए लागू होंगे।

22-नियम 31 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-31 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

31-विद्युत निरीक्षण द्वारा सचल सिनेमाओं का निरीक्षण-

(i) सचल सिनेमा को तब तक कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि सरकार के विद्युत निरीक्षक निरीक्षण करके यह प्रमाणित न कर दिया हो कि उपकरण यान्त्रिक रूप से सुरक्षित है और उनमें पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की गयी है:

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(एक) सन्निर्माण-इसमें एक धूम्रसह बाक्स होगा जो किसी मजबूत ढाँचा पर लौह या इस्पात पत्रक से निर्मित होगा और एक साथ बंधा हुआ होगा। फर्श से छत तक की आंतरिक ऊँचाई कम से कम 10 फीट होगी। फर्श 48 वर्ग फीट होगा, यदि एक मशीन संचालित की जाए और 24 वर्ग फीट प्रत्येक अतिरिक्त मशीन के लिए आवश्यक होगा। कक्ष की चौड़ाई इतनी रखी जायेगी कि मशीन के पीछे पर्याप्त जगह छोड़ी जा सके ताकि आपरेटर आसानी से घूम सके। भवन प्रत्येक स्थिति में स्थायी भवन के प्रक्षेपण कक्ष की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा; परन्तु यदि अस्थायी घेरा एक नियत स्थान पर या परिसर में बनाया जाता है और पोर्टेबल साधित्र के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता है जिससे कि टूटने का जोखिम न हो, तो ऐसा घेरा एस्बेस्टस पत्रक का बनाया जा सकता है, या एक मजबूत अग्नि रोधी ढाँचे पर अग्नि-रोधी अन्य प्रकार की सामग्री का बनाया जा सकता है और प्रयुक्त की गयी उस प्रकार की अग्नि रोधी सामग्री सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (अग्निशमन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारिता वाले व्यक्ति द्वारा अनुमोदित की जायेगी कि अग्निशामक साधित्र के लिए की गयी व्यवस्था और अग्नि शमन के सापेक्ष बरती गयी सावधानियों विद्यमान नियमों एवं उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(दो) विद्युत और अन्य आवश्यक साधित्र-अस्थायी घेरा के भीतर सभी साधित्र उसी प्रकार से किसी स्थायी भवन में सदृश साधित्र के लिए विहित आपेक्षाओं को इस बात के सिवाय पूरा करेंगे कि ऐसे साधित्र पोर्टेबल हो सकते हैं।

(3) सामान्य कार्य प्रणाली अग्नि शमन उपकरण, ज्वलनशील सामग्रियों का प्रतिषेध, धूम्रपान प्रकाश, माचिस, फिल्म रिविडिंग, आपरेटरों और लाइसेन्सधारी अथवा तकनीशियन से भिन्न व्यक्तियों के अप्रवेश से सम्बन्धित स्थायी भवन के प्रक्षेपण कक्षों के लिए विहित नियम, अस्थायी घेरा के लिए लागू होंगे।

नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-31 के स्थान

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

31-विद्युत सुरक्षा विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सचल सिनेमाओं का निरीक्षण-

(1) सचल सिनेमा को तब तक कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात यह प्रमाणित न कर दिया जाये कि उक्त उपकरण यान्त्रिक रूप से सुरक्षित है और वह पर्याप्त सुरक्षा साधित्र से प्रमाणित है;

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

परन्तु विद्युत निरीक्षण उस तिथि से पहले जब फिल्मों का प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है, इस प्रकार प्रमाणित करने में असमर्थ है, वहाँ अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने के बाद कि निरीक्षण फीस जमा कर दी गई है, कि अनुज्ञप्तिधारी ने अपने दौरे कार्यक्रम की एक प्रति जमा कर दी है और कि नियम 31 और 32 के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया गया है, तो एक अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। दौरा कार्यक्रम तत्काल आवेदक सरकार के विद्युत निरीक्षक को भेज देगा और वह उसके बाद यथाशीघ्र निरीक्षण करने की व्यवस्था करेगा।

(ii) सभी सचल सिनेमा जिनका जिले में ठहरना एक माह से अधिक का होना संभावित है अपने अधिष्ठापन का निरीक्षण सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा करायेंगे।

(iii) सरकार के विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रत्येक शुरूआती निरीक्षण के लिए और पहले निरीक्षण में पाई गयी कमी के कारण आवश्यक हुए परवर्ती प्रत्येक निरीक्षण जो कि विद्युत निरीक्षक की राय में अधिष्ठान को सुरक्षित करता हो, के लिए भी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से यथा-विहित फीस उद्ग्रहीत की जायेगी और उसे राज्य सरकार के खाते में डाला जायेगा।

23-नियम 37 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नियम-37 में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान उपनियम-(1), (2) और (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिये जाएंगे, अर्थात्-

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(1) नियम-5 में विनिर्दिष्ट प्रमाण-पत्र लेने के लिए शुरूआती निरीक्षण के अतिरिक्त विद्युत अधिष्ठान वाले प्रत्येक स्थायी भवन का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष में एक बार विद्युत निरीक्षक या उसके प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किया जायेगा, यदि किसी ऐसे निरीक्षण में अधिष्ठान में कोई कमी पायी जाती है तो वह यह समाधान करने के लिए वर्ष के किसी समय आगे निरीक्षण करेगा कि प्रबंधन ने उन कमियों को संतोषजनक रूप से समाप्त कर दिया है।

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

परन्तु यदि सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग का प्राधिकृत अधिकारी उस दिनांक से पहले जिस दिनांक को फिल्मों का प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हो, इस प्रकार प्रमाणित करने में असमर्थ हो, वहाँ लाइसेंस प्राधिकारी, स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात्कि निरीक्षण फीस जमा कर दी गई है, और यह कि लाइसेंसधारी ने अपने दौरा कार्यक्रम की एक प्रति जमा कर दी है और यह कि नियम 31 और 32 के उपबन्धों का अनुपालन कर लिया गया है, एक अस्थायी लाइसेंस प्रदान कर सकता है। दौरा कार्यक्रम तत्काल आवेदन द्वारा सरकार के सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा और वह तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निरीक्षण करने की व्यवस्था करेगा।

(2) समस्त सचल सिनेमाओं, जिनका जिले में एक माह से अधिक का ठहरना संभावित हो, के अधिष्ठानों का निरीक्षण सरकार के सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(3) सरकार के सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रारम्भिक निरीक्षण के लिए और पूर्व निरीक्षण में पाई गयी त्रुटि के कारण आवश्यक हुए प्रत्येक अनुवर्ती निरीक्षण जो सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के प्राधिकृत अधिकारी की राय में अधिष्ठापन को असुरक्षित करता हो, के लिए भी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से यथा-विहित फीस उद्ग्रहीत की जायेगी और उसे राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा।

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) नियम-5 में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक निरीक्षण के अतिरिक्त विद्युत अधिष्ठान वाले प्रत्येक स्थायी भवन का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष में एक बार सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसे किसी निरीक्षण में अधिष्ठापनों में कोई त्रुटियां पायी जाती हैं तो वह स्वयं का समाधान करने के लिए प्रबंधन ने उन त्रुटियों का निराकरण समाधान पूर्वक कर लिया है, वर्ष में किसी भी समय अग्रतर निरीक्षण कर सकता है।

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

(2) विद्युत निरीक्षक या उसके प्रतिनिधि द्वारा शुरूआती और वार्षिक निरीक्षणों के लिए और किसी परवर्ती निरीक्षण के लिए जो कि शुरूआती या परवर्ती निरीक्षण के दौरान, कभी के रहने के कारण जरूरी हो, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना जारी करके यथाविहित फीस की अदायगी प्रबंधन द्वारा की जायेगी और उसे राज्य के राजस्व में जमा कर दिया जायेगा।

(3) अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पहले निरीक्षण के अतिरिक्त, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी सिनेमा का, जा उसकी अधिकारिता के भीतर हो, ऐसे अंतराल में जैसा वह जरूरी समझे, निरीक्षण करेगा निरीक्षण करायेगा।

24-नियम 39 का संशोधन-उक्त नियमावली में, 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

39-चलचित्र अनुज्ञप्ति के लिए फीस-अधिनियम के अधीन किसी स्थायी या अस्थायी अनुज्ञप्ति के प्रदान करने या उसे नवीकृत करने के लिए या उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय फीस निम्नलिखित दरों के अनुसार ली जाएगी, अर्थात्-

(i) किसी स्थायी सिनेमा के लिए निम्नलिखित जनसंख्या वाले किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थायी अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए-

[क] एक लाख तक रु0 1000.00 (एक हजार) प्रतिमाह या उसका भाग

[ख] एक लाख से अधिक रु0 150.00 (पन्द्रह सौ) प्रतिमाह या उसका भाग।

(ii) किसी अवधि के लिए सचल सिनेमा के लिए किसी अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसे नवीकृत करने के लिए-

[क] एक माह से अधिक नहीं रु0 150.00।

[ख] एक माह से अधिक किन्तु तीन माह से अधिक नहीं रु0 450.00।

[ग] तीन माह से अधिक किन्तु छः माह से अधिक नहीं रु0 900.00।

(iii) लाइसेंसधारी को स्थायी या अस्थायी लाइसेंस की अनुलिपि जारी करने के लिए फीस, ऊपर यथाविहित मूल लाइसेंस के लिए सम्बन्धित फीस की 75 प्रतिशत होगी।

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक और वार्षिक निरीक्षण पर त्रुटि विद्यमान होने के कारण आवश्यक हुए प्रारम्भिक और वार्षिक निरीक्षण के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से यथाविहित फीस, प्रबंधन द्वारा संदेय होगा और उसे राज्य के राजस्व में जमा किया जायेगा।

(3) लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व किये गये निरीक्षण के अतिरिक्त, लाइसेंस प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपनी अधिकारिता के भीतर किसी सिनेमा का, ऐसे अंतरालों, जैसा कि वह आवश्यक समझे, पर निरीक्षण करेगा या निरीक्षण करायेगा।

नीचे स्तंभ-1 में दिए गए नियम-39 के स्थान पर स्तम्भ-

39-चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन लाइसेंस के लिए फीस-अधिनियम के अधीन किसी स्थायी या अस्थायी लाइसेंस प्रदान करने या उसे नवीकृत करने के लिए अथवा उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा संदेय फीस निम्नलिखित दर-मान पर उद्ग्रहीत की जायेगी, अर्थात्-

(एक) किसी स्थायी सिनेमा के लिए निम्नलिखित जनसंख्या वाले किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थायी लाइसेंस प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए

[क] एक लाख तक के लिए प्रति-माह या उसके ऑशिक भाग के लिए 3000.00 (तीन हजार) रुपये,

[ख] एक लाख से अधिक के लिए प्रतिमाह या उसके ऑशिक भाग के लिए 5000.00 (पाँच हजार) रुपये,

(दो) सचल सिनेमा के लिए कोई अस्थायी लाइसेंस प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए निम्नलिखित अवधि होगी-

[क] अनधिक एक माह 500.00 रुपये

[ख] एक माह से अधिक किन्तु तीन माह से अनधिक 1500.00 रुपये

[ग] तीन माह से अधिक किन्तु अनधिक छः माह 3000.00 रुपये

(तीन) लाइसेंसधारी को स्थायी या अस्थायी लाइसेंस की अनुलिपि जारी करने के लिए फीस, ऊपर यथाविहित मूल लाइसेंस के लिए सम्बन्धित फीस की 75 प्रतिशत होगी।

25-नियम 39 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए नियम-39-क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

39-क-स्थायी भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थान के निरीक्षण के लिए फीस-नियम-3 के अधीन स्थान प्लान और भवन विनिर्देश के निरीक्षण के लिए आवेदक द्वारा देय फीस प्रति आवेदन पर 2000.00 रु० की दर से अदा की जाएगी।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

39- क-निकाल दिया गया।

26-नियम 40 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-40 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

40-अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति तिथि से एक माह पूर्व किया जाएगा जिसके न होने पर नवीकरण फीस के अतिरिक्त 100.00 रु० की शास्ति उद्ग्रहीत की जाएगी। स्थायी अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि जो नियम-9 में की गई व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष की है, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगी।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

40-लाइसेंस नवीकरण के लिस आवेदन-पत्र लाइसेंस समाप्ति के दिनांक से एक माह पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी को किया जाएगा जिसमें विफल होने पर नवीकरण फीस के अतिरिक्त 500.00 रुपये की शास्ति उद्ग्रहणीय होगी। जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस, यदि लाइसेंस में अन्यथा उपबन्धित न हो, किसी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा।

27-नियम 43 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नियम-43 में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए विद्यमान उपनियम-(तीन) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

(iii) आदेश को सम्यक्तः तामील किया गया माना जाएगा यदि इसे अनुज्ञप्तिधारी को दे दिया जाता है या, जहाँ अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की राय में वैयक्तिक तामील नहीं किया जा सकता है, यदि आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व के अधीन या नियंत्रण के अधीन परिसर में किसी सर्वलोक स्थल पर चिपका दिया जाता है।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

(तीन) उक्त आदेश सम्यक् रूप से तामील किया गया माना जाएगा यदि यह लाइसेंसधारी की ई-मेल, एस0एम0एस0, फोन, वैयक्तिक सेवा और अन्य विश्वसनीय संचार माध्यमों से प्रदान किया गया हो, अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की राय में जहाँ वैयक्तिक तामिलीकरण प्रभावी न हो सके और यदि आदेश की एक प्रति लाइसेंसधारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन परिसर या किसी प्रमुख स्थान पर चिपका दिया जायें।

28-नियम 44 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए नियम-44 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

**स्तम्भ 1**

**विद्यमान नियम**

44-अधिनियम की धारा-10 के अधीन छूट प्रदान करते समय संविरचना प्रभार का अधिरोपण-अधिनियम की धारा-10 के अधीन विशिष्ट नियमों के उपबन्धों से छूट प्रदान करते समय उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-13(2) (कक) के अधीन देय संविरचना प्रभार निम्नानुसार होंगे जो कि ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन होंगे जैसी अधिरोपित की जाए।

**स्तम्भ 2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

44-अधिनियम की धारा-10 के अधीन छूट प्रदान करते समय प्रशमन प्रभार का अधिरोपण-उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 अधिनियम की धारा-10 के अधीन विनिर्दिष्ट नियमावली के उपबन्धों से छूट प्रदान किये जाते समय उक्त अधिनियम की धारा-13(2) (कक) के अधीन देय संदेय प्रशमन प्रभार, यथा अधिरोपित शर्तों और निर्बन्धनों के आधार पर होगा।

## स्तम्भ 1

## विद्यमान नियम

छूट तभी प्रवृत्त होगी जब कि संविरचना प्रभार सरकार के खजाने में जमा कर दिया गया हो और शर्तों निर्बन्धनों को पूरा कर दिया गया हो।

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

उक्त छूट केवल तभी प्रवृत्त होगी जब प्रशमन शुल्क सरकारी कोषागार में जमा कर दिया गया हो और शर्तों तथा निर्बन्धनों का अनुपालन कर लिया गया हो।

संविरचना प्रभार			प्रशमन प्रभार		
क्र० सं०	नियमों से छूट	संविरचना प्रभार रु०	क्र० सं०	नियमों से छूट	संविरचना प्रभार रु०
1	नियम-3-(3)	50,000.00	1	नियम-3-(3)	निकाल दिया गया है
2	नियम-8-(2)	35,000.00	2	नियम-8-(2)	निकाल दिया गया है
3	नियम-8-(3)	40,000.00	3	नियम-8-(3)	निकाल दिया गया है
4	नियम-14-(2)	45,000.00	4	नियम-14-(2)	1,00,000.00
5	नियम-18	15,000.00	5	नियम-18	निकाल दिया गया है

29-परिशिष्ट-1 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए परिशिष्ट-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जाएगा, अर्थात्-

## स्तम्भ 1

## विद्यमान परिशिष्ट-1

## परिशिष्ट-1

(नियम-2 (v) और 9 देखें)

चलचित्र अधिनियम, 1955 (यथा संशोधित) के अधीन  
अनुज्ञप्ति का नं० ...../दिनांक

(क) सिनेमा का नाम .....

(ख) पता.....

(ग) आवेदन कर्ता का नाम.....

[क] .....अवस्थित

[ख] .....जो.....अधिनियम, 1918  
(1918 का अधिनियम सं०-11) के अधीन.....जिले  
में स्थित वह स्थान है जिस पर सिनेमा के माध्यम से  
दोनों दिन शामिल करके प्रदर्शन किया जाना है। यह  
अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

[ग] .....और इसे तुरन्त निरस्त समझा जायेगा  
यदि उक्त (ग) .....उक्त (क).....को  
स्वामित्व में नहीं रखता या लीज पर नहीं रखता या  
प्रबन्धन नहीं करता है।

## शर्तें

यह अनुज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों में दी  
गई शर्तों और इन अगली शर्तों के अधीन प्रदान की  
जाती है:

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट-1

## परिशिष्ट-1

(नियम-2 (v) और 9 देखें)

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन)

अधिनियम, 1955 (यथा संशोधित) के अधीन लाइसेंस का  
प्रपत्र.....

संख्या..... दिनांक .....

(क) नाट्यशाला, आदि का नाम .....

(ख) पता.....

(ग) आवेदक कर्ता का नाम.....

जिला.....के भीतर (क).....में

स्थित (ख).....समय-समय पर यथासंशोधित  
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956) की धारा 3  
के अधीन ऐसे स्थान के रूप में लाइसेंस प्राप्त है, जहाँ  
चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शन.....दोनों दिनों को  
सम्मिलित करके किया जा सकता है।

यह कि लाइसेंस (ग).....को प्रदान किया  
गया है और वह तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा यदि  
उक्त (ग).....को प्रदान किया गया है और वह  
तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा यदि उक्त (ग) .....  
.....उक्त (क) को पट्टे पर ग्रहण करने या उसका  
प्रबन्ध करने हेतु स्वामित्व ग्रहण करने से प्रविरत हो  
जाता है।

स्तम्भ 1  
विद्यमान परिशिष्ट-1

(1) कि उक्त (ग).....उक्त (क).....में उस फिल्म से भिन्न कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं करेगा या प्रदर्शित करने के लिए अनुज्ञप्ति नहीं देगा, जिसे चलचित्र अधिनियम की धारा-6 के अधीन गठित किसी प्राधिकारी द्वारा लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त रूप में प्रमाणित किया गया हो, और जो, प्रदर्शन करते समय उस प्राधिकारी का विहित चिन्ह प्रदर्शित करती है, और जिसे उस पर ऐसा चिन्ह लगाये जाने के बाद किसी तरह से परिवर्तित या उलट-फेर नहीं किया गया है।

(2) कि उक्त (ग).....30 सितम्बर, 1946 के बाद (क).....पर प्रत्येक प्रस्तुति में एक या अधिक अनुमोदित फिल्म प्रदर्शित कराएगा जिसकी पूरी लम्बाई कम से कम एक हजार फिट है या 35 एम0एम0 की फिल्म सिनेमा द्वारा प्रदर्शित करने की दशा में उसकी लम्बाई 750 फिट से अधिक है और 16 एम0एम0 की फिल्म सिनेमा द्वारा प्रदर्शित करने की दशा में उसकी लम्बाई 40 फिट है और ऐसे किसी निर्देश का पालन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश सरकार सामान्य या विशिष्ट आदेश जारी करके दे जो उस रीति के बारे में हो जिसके द्वारा कोई अनुमोदित फिल्म किसी प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रदर्शित की जाएगी।

नोट- "अनुमोदित फिल्म" से अभिप्रेत है कोई चलचित्र फिल्म जिसे केन्द्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्त (2) के अनुपालन में प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए अनुमोदित करें।

(3) कि उक्त (ग).....उक्त (क).....में किसी ऐसे व्यक्ति को कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं करेगा या प्रदर्शित नहीं करायेगा जो वयस्क नहीं है जिसे धारा-6 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा बयस्कों के लिए निर्बन्धित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त रूप में प्रमाणित किया गया हो।

नोट-इस शर्त से यह अर्थ नहीं निकाला जायेगा कि 'ए' प्रमाण-पत्र प्रदान की गयी फिल्मों के संबंध में तीन साल से कम की आयु के बच्चों को जो गोद में हो, को उसे प्रदर्शित करने में प्रतिबन्ध लगाया गया है।

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट-1

यह लाइसेंस, राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली में उपवर्णित शर्तों और अग्रेतर शर्तों.....के अधधीन प्रदान किया जाता है'-

(1) कि उक्त (ग).....उक्त (क).....में उस फिल्म से भिन्न कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं करेगा या प्रदर्शित किये जाने के लिए अनुमत नहीं देगा, जो चलचित्र अधिनियम की धारा-6 के अधीन गठित किसी प्राधिकारी द्वारा लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त रूप में प्रमाणित की गयी हों, और जो प्रदर्शन किये जाने पर उस प्राधिकारी का विहित चिन्ह प्रदर्शित करती हों, और जिसमें किसी भी रूप में कोई परिवर्तन या विरूपण न किया गया हो, क्योंकि उसमें ऐसा चिन्ह लगाया गया था।

(2) यह कि उक्त (ग).....30 सितम्बर, 1946 के पश्चात (क).....में प्रत्येक प्रस्तुतिकरण में एक या अधिक अनुमोदित फिल्म प्रदर्शित कराएगा जिसकी कुल लम्बाई अन्यून एक हजार फिट है या 35 एम0एम0 की फिल्म सिनेमा द्वारा प्रदर्शित किये जाने की दशा में अनुमोदित फिल्म की लम्बाई अनधिक 750 फिट हो और 16 एम0एम0 की फिल्म सिनेमा द्वारा प्रदर्शित किये जाने की दशा में उसकी लम्बाई 400 फिट हो और ऐसे किसी निर्देश का अनुपालन करेगा जिसे उत्तर प्रदेश सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस रूप में दे जिसमें किसी प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित फिल्म प्रदर्शित की जायेगी।

टिप्पणी- "अनुमोदित फिल्म" का तात्पर्य लाइसेंस के शर्त (2) के अनुपालन में प्रदर्शन करने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित चलचित्र फिल्म से है।

(3) कि उक्त (ग).....उक्त (क).....में किसी ऐसे व्यक्ति जो वयस्क न हो, को ऐसी फिल्म प्रदर्शित नहीं करेगा या न प्रदर्शित करने देगा या जो धारा-6 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा बयस्कों के लिए निर्बन्धित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त रूप में प्रमाणित की गयी हो।

टिप्पणी-उक्त शर्त को ऐसे फिल्म के प्रदर्शन से प्रतिषेध के रूप में नहीं माना जायेगा, जिसके सम्बन्ध में तीन वर्ष की आयु से कम वाले बच्चों के लि 'ए' प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो।

## स्तम्भ 1

## विद्यमान परिशिष्ट-1

(4) कि उक्त (ग) .....उक्त (क)..... में किसी प्रस्तुतीकरण में (1) यौन रोगों के संबंध में और जनित कमियों को दूर करने या निःसंतान व्यक्तियों को संतान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए तात्पर्यित दवाइयों आदि के बारे में कोई विज्ञापन, और (2) कोई अशोभनीय, अश्लील, अनैतिक या विचारोत्तेजक विज्ञापन, चित्र या पोस्टर को उक्त (क) .....के परिसर में प्रदर्शित नहीं करेगा या प्रदर्शित नहीं करायेगा।

(5) कि उक्त (ग) .....जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अन्य अधिकारी को फिल्म पूर्व-प्रदर्शित करेगा यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह रिपोर्ट किया जाता है या उसकी जानकारी में ऐसा लाया जाता है कि फिल्म या उसके किसी अंश का प्रदर्शन शांति भंग करने में शक्य है।

(6) कि उक्त (ग) .....प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित प्रत्येक फिल्म की पूर्व सूचना जिला मजिस्ट्रेट को उसके विषयवस्तु के साथ प्रस्तावित प्रदर्शन से कम से कम एक सप्ताह पहले या, उचित और पर्याप्त कारण होने पर, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन करने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किया, जाये तीन दिन पहले भेजेगा।

परन्तु यदि उक्त (ग) ..... ने इस शर्त के प्रावधानों के अनुसार एक माह या कम की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनेक फिल्मों की बाबत कार्यक्रम का जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है तो अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट को कोई ऐसा परिवर्तन के बारे में सूचित करें जिसे वह मूलतः प्रस्तुत कार्यक्रम में शामिल फिल्म के प्रदर्शन की प्रस्तावित तिथियों में निर्धारित अवधि के भीतर करना चाहता हो।

6-(क)-यह कि (ग) ..... फिल्म के प्रदर्शन के आरंभ की तिथि विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से ब्लॉक और बोल्ड अक्षरों में, फिल्म के विज्ञापन के लिए प्रत्येक पोस्टर, हाथ बिल, पुस्तिका आदि पर अंकित करेगा। यह की (सी) ..... यह भी सुनिश्चित करेगा कि तारीख का उल्लेख वैसा ही किया जाए जैसा कि लाइसेंस की शर्त संख्या-6 के प्रावधान के तहत जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया है।

(7) कि उक्त (ग).....ने इस शर्त निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को अनुमति देगा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन किया जा रहा है-

## स्तम्भ 2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट-1

(4) यह कि उक्त (ग) .....उक्त (क)..... में किसी प्रस्तुतीकरण में (1) यौन रोगों और यौन विकारों को दूर करने या संतान जनन में सहायता करने हेतु तात्पर्यित औषधियों आदि से सम्बन्धित कोई विज्ञापन और (2) उक्त (क) .....के परिसर पर कोई अशिष्ट, अश्लील, अनैतिक या अश्लीलता सूचक विज्ञापन, चित्र या पोस्टर प्रदर्शित नहीं करेगा या न प्रदर्शित करने देगा।

(5) यह कि उक्त (ग) .....जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अन्य निगमित अधिकारी को फिल्म का पूर्वावलोकन करायेगा यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह रिपोर्ट किया जाता है या उसके संज्ञान में आता है कि फिल्म या उसके किसी अंश का प्रदर्शन शांति भंग होना संभाव्य है।

(6) यह कि उक्त (ग) .....प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित प्रत्येक फिल्म की पूर्व सूचना जिला मजिस्ट्रेट को, उसके सारांश के साथ प्रस्तावित प्रदर्शन से कम से कम एक सप्ताह पूर्व या, उचित और पर्याप्त कारण होने पर, जिसे लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन करने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किया, जाये तीन दिन पूर्व प्रेषित करेगा।

परन्तु यदि उक्त (ग) ..... ने शर्त के उपबन्धों के अनुसार एक माह या कम की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फिल्मों की संख्या से संबंधित कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है तो लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे परिवर्तन के संबंध में सूचित करें जिसे वह मौलिक रूप से प्रस्तुत कार्यक्रम में सम्मिलित फिल्म के प्रदर्शन के प्रस्तावित दिनाकों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करना चाहता हो।

6-(क)-यह कि (ग) ..... फिल्म प्रदर्शन के प्रारंभिक दिनांक का विनिर्दिष्ट उल्लेख फिल्म के विज्ञापन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक पोस्टर, पर्ची और पुस्तिका आदि पर सुस्पष्ट अक्षरों में करेगा। उक्त (ग) .. यह भी सुनिश्चित करेगा कि उल्लिखित दिनांक वही हो जैसा कि लाइसेंस की शर्त संख्या-6 के उपबन्ध के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया हो।

(7) यह कि उक्त (ग).....(ख).....में स्थित.....(क).....का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को यह अवलोकित करने की अनुमति देगा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।



स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(i) आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, जिला मनोरंजन कर अधिकारी और मनोरंजन और दौंव कर विभाग का निरीक्षण,

(एक) लाइसेंस प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी।

(ii) क्षेत्रीय अग्नि अधिकारी,

(दो) क्षेत्रीय अग्नि शमन अधिकारी,

(iii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा नामित क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी,

(तीन) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श से प्रतिनियुक्त उप निरीक्षक की श्रेणी से अन्यून अनधिक दो पुलिस अधिकारी, और

(iv) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श से प्रतिनियुक्त कम से कम उप निरीक्षक रैंक के अधिक से अधिक दो पुलिस जिनमें से एक पुलिस अधिकारी उस विशिष्ट क्षेत्र का होना चाहिए, और

(चार) अनधिक दो मजिस्ट्रेट जो लाइसेंस प्राधिकारी के पदनाम से नाम निर्दिष्ट हों।

(v) अधिक से अधिक दो मजिस्ट्रेट जिन्हें अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पदनाम से नामित किया गया हो, जिनमें से एक उस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट होना चाहिए।

(8) यह कि आडिटोरियम में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक श्रेणी की सीटों की कुल संख्या उसके साथ उपाबद्ध अनुसूचीत में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी और न ही अग्नि उपकरणों, इक्जास्ट फैन विद्युत पंखों या स्वच्छता अपेक्षाओं की संख्या और वर्णन उसमें निर्दिष्ट किए गए से कम होगी।

(8) यह कि प्रेक्षागृह में सीटों और प्रत्येक श्रेणी की सीटों की कुल संख्या इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी और न ही अग्नि शमन साधित्र, इक्जास्ट पंखों, विद्युत पंखों की संख्या या स्वच्छता संबंधी अपेक्षाओं का वर्णन उसमें विनिर्दिष्ट संख्या और वर्णन से कम नहीं होंगे।

(9) यह कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति में संशोधन या उसका प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(9) यह कि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस में संशोधन या उसका प्रतिसंहरण करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(10) यह कि उक्त (ग) .....उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम-24 के अधीन चलचित्र फिल्मों को रखने के लिए चलचित्र फिल्म नियम, 1948 की अनुसूची-iii के अनुच्छेद-1 के अधीन, समय-समय पर यथा संशोधित विहित अनुज्ञप्ति प्रपत्र "ग" में दी गई 1 से 16 की शर्तों का अनुपालन करेगा।

(10) यह कि उक्त (ग) .....उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम-24 के अधीन चलचित्र फिल्मों का भण्डारण करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1948 की अनुसूची-तीन के अनुच्छेद-1 के अधीन यथा विहित लाइसेंस प्रपत्र "ग" में विनिर्दिष्ट 1 से 16 तक की शर्तों का अनुपालन करेगा।

(11) यह कि उक्त (ग) .....किसी ऐसे फोटोग्राफ चित्र या पोस्टर को न प्रदर्शित करेगा या न प्रदर्शित कराएगा जो किसी दृश्य या निशान को चित्रित करे या प्रदर्शित करे या प्रदर्शित करने के लिए तात्पर्यित हो जिसे केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड या केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा किसी फिल्म से काट दिया गया हो।

(11) यह कि उक्त (ग) .....किसी ऐसे फोटोग्राफ चित्र या पोस्टर को न प्रदर्शित करेगा या न प्रदर्शित कराएगा जो किसी ऐसे दृश्य या चित्र को चित्रित करे या द्योतित करे या द्योतित करना तात्पर्यित हो जिसे केन्द्र सरकार के केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के आदेशों के अधीन किसी फिल्म से काट दिया गया हो।

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(12) यह कि सिनेमा में प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे के बीच शो की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और सुबह 9 बजे के पूर्व और मध्यरात्रि 12 बजे के पश्चात् कोई शो आयोजित नहीं किया जाएगा। शो 9 बजे सुबह उसके उसके बाद शुरू होकर किसी भी सूरत में मध्य रात्रि 12 बजे तक समाप्त हो जाय। लाइसेंसिंग प्राधिकारी की विशिष्ट अनुमति के बाद ही सुबह 9 बजे से पूर्व और मध्यरात्रि 12 बजे के बाद शो का प्रदर्शन किया जा सकेगा जो कि केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में दिया जाएगा।

(13) कार्य दिवसों में 18 वर्ष से कम उसके किसी भी व्यक्ति को मध्याह्न 3 बजे से पहले आयोजित होने वाले शो में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**नोट**—माता-पिता या अभिभावकों के साथ 5 वर्ष (पांच) तक के बच्चों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। यह प्रतिबंध छुट्टियों पर भी लागू नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए छुट्टियां शैक्षिक संस्थानों के लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित रविवार, राजपत्रित अवकाश और अवकाश और छुट्टियां शामिल होंगी।

(14) 14 (चौदह) वर्ष से कम आयु के किशोरों को देर रात के शो में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ न हो

(15) जैसा कि (ग) .....या व्यक्ति या कोई अन्य सिनेमा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हो यूपी मनोरंजन और बेटिंग कर अधिनियम, 1979 (1979का अधिनियम 28), यूपी0 मनोरंजन और बेटिंग कर नियम 1981 या के तहत जारी किए गए आदेश और किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा।

(16) यह कि लाइसेंस, यूपी मनोरंजन और बेटिंग कर अधिनियम, 1979 की धारा-38 के तहत जारी आदेशों के अनुसार फार्म (बी) रजिस्टर हर समय मैनेजर के कार्यालय में रखा होना जरूरी है (यदि कोई मैनेजर नहीं है तो बुकिंग कार्यालय में रखा जाएगा) और निरीक्षण के दौरान मांग पर तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

(17) प्रत्येक प्रदर्शन के लिए प्रदर्शित प्रत्येक स्वीकृत फिल्म की मुख्य फीचर फिल्म और शीर्षक और संख्या आदि का नाम प्रत्येक शो के लिए तैयार किए गए फॉर्म "बी" कथन पर ध्यान दिया जाएगा और लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाएगा, या इसकी अनुमति नहीं होगी प्रदर्शित किया जा सकता है, किसी के अलावा किसी भी शो में किसी फीचर फिल्म को नोट किया जाता है।

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(12) यह कि सिनेमा में पूर्वाह्न 9 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे के मध्य दैनिक शो की संख्या में कोई निर्बंधन नहीं होगा और न कोई शो पूर्वाह्न 9 बजे से पूर्व और मध्यरात्रि 12 बजे के पश्चात् आयोजित नहीं किया जाएगा। उदाहरणार्थ शो पूर्वाह्न 9 बजे या उसके पश्चात् प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 12 बजे तक आवश्यक रूप में समाप्त हो जाना चाहिए। लाइसेंस प्राधिकारी की ऐसी विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना पूर्वाह्न 9 बजे से पूर्व और मध्यरात्रि 12 बजे के पश्चात् कोई शो आयोजित नहीं किया जाना चाहिए जिसे अत्यंत आपवादिक परिस्थितियों में ही दिया जाएगा।

(13) यह कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को प्रत्येक कार्य दिवस में अपराह्न 3.00 बजे के पूर्व आयोजित शो में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**टिप्पणी**—अपने माता-पिता या संरक्षकों के साथ आने वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे इस निर्बंधन से मुक्त होंगे। यह निर्बंधन अवकाश दिवसों में लागू नहीं होगा। इस प्रयोजनार्थ अवकाश दिवसों में रविवार, राजपत्रित अवकाश दिवस, शैक्षणिक संस्था, शिक्षा विभाग द्वारा विहित अवकाश सम्मिलित है।

(14) यह कि 14 (चौदह) वर्ष से कम आयु के किशोरों को देर रात के शो में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ न हों।

(15) यह कि प्रबंधक कार्यालय, सिनेमा के भू-तल स्थित मुख्य प्रवेश द्वारा के निकट होगा और दरवाजे पर सुपाठ्य अक्षरों में शब्द "प्रबन्धक" अंकित होगा।

**टिप्पणी**—ऐसे सिनेमा जो भू-तल पर स्थित न हों के लिए भू-तल का तात्पर्य उस तल से होगा जिस पर प्रेक्षागृह का निम्नतम भाग स्थित हो।

(16) यह कि ध्वनि और प्रकाश व्यवस्थाएँ इस प्रकार से की जायेंगी जिससे कि समस्त दर्शकों के लिए सदैव अच्छी दृश्यता और श्रव्यता सुनिश्चित की जा सके।

(17) (क) यह कि सीटें समुचित रूप से मरम्मत की गई स्थिति में रखी जायेंगी।

(ख) यह कि प्रत्येक श्रेणी में सीट की पंक्तियां चिन्हित की जायेगी और ए0बी0सी0 आदि के रूप में उनकी पहचान की जायेगी और प्रत्येक पंक्ति में सीटें क्रमशः संख्यांकित की जायेंगी।

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(18) प्रबंधक का कार्यालय भू-तल पर सिनेमा के मुख्य प्रवेश द्वारा के पास होगा और स्पष्ट रूप से पठनीय अक्षरों में "प्रबंधक" शब्द दरवाजे पर अंकित होगा।

नोट—भू-तल पर स्थित सिनेमाघरों के लिए "भू-तल" का अर्थ उस मंजिल से होगा जिस पर छविगृह का सबसे निचला भाग स्थित है।

(19) यह कि ध्वनि और प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो जिससे हर समय दर्शकों को अच्छी दृश्यता और श्रव्यता सुनिश्चित हो।

(20) (क) यह कि सीटों की कतारें व्यवस्थित रखी जाएगी।

(ख) प्रत्येक श्रेणी में सीट की पंक्तियों को चिन्हित किया जाएगा और ए0बी0सी0 आदि के रूप में पहचान की जाएगी और प्रत्येक पंक्ति में सीटें क्रमबद्ध संख्या में दी जाएंगी।

(ग) प्रत्येक प्रथम बार प्रदर्शित होने वाली फिल्म का कम से कम पहले तीन दिन दो उच्चतम कक्षाओं के लिए सीट संख्या डाली जाएगी और टिकट धारक उसी के अनुसार बैठेंगे।

(घ) अग्रिम बुकिंग की स्थिति में भी टिकट पर सीट संख्या होगी और टिकट धारक उसके अनुसार बैठेंगे।

(21) सभी दीवारों और फर्श को हर समय साफ रखा जाना चाहिए, सभी फर्शों को महीने में कम से कम एक बार निस्संक्रामक से धोया जाएगा। फर्श से 90 सेमी की ऊंचाई तक की सभी दीवारें कम से कम महीने में एक बार अच्छे निस्संक्रामक से साफ की जाएंगी।

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ग) यह कि दो उच्चतम श्रेणियों के लिए जारी समस्त टिकटों पर सीट संख्यायें अंकित होंगी और प्रत्येक प्रथम बार फिल्म प्रदर्शन के दौरान कम से कम प्रथम तीन दिन तक ग्राहक तदनुसार बैठाये जायेंगे।

(घ) यह कि अग्रिम बुकिंग की स्थिति में प्रत्येक टिकट पर सीट संख्या अंकित होगी और तदनुसार ग्राहक को बैठाया जायेगा।

(18) यह कि सभी दीवारों और फर्श सदैव साफ रखे जायेंगे और सभी फर्शों को प्रत्येक दिन कम से कम एक बार विसंक्रामक से धोया जायेगा। सभी दीवारों की फर्श से 90 सेमी, की ऊंचाई तक माह से कम से कम एक बार विसंक्रामक से धुलाई की जायेगी।

(19) यह कि इससे संलग्न अनुसूची में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पीकदान की व्यवस्था की जायेगी। पीकदानों में तेज विसंक्रामक रखा जायेगा और उन्हें समय-समय पर खाली किया जायेगा तथा उनकी सफाई की जायेगी। ऐसे पीकदानों का प्रयोग संबंधी सूचनायें सिनेमा परिसरों में प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

(20) यह कि प्रेक्षागृह के अंदर किसी चाय कॉफी, दूध शीतल पेयों या अन्य सुपेयों या किन्ही खाद्य सामग्रियों जो मुहरबंद पैकेट में न हों, का विक्रय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी—(1) शर्त संख्या 17, 18, 19 और 20 सचल सिनेमा के मामले में लागू नहीं होगी।

(2) शर्त 17 (ग) और 20 सामान्यतः जिला मुख्यालय से दूर स्थित सिनेमाओं पर लागू नहीं होगी।

(21) यह कि उक्त (ग)..... शर्त संख्या 6 के अनुसार प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित प्रत्येक फिल्म की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भेजने के अतिरिक्त चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा-6 क के उपबंधों के अनुसार फिल्म वितरक से प्राप्त प्रमाण-पत्र संबंधी सूचना की प्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा। मूल प्रमाण-पत्र अवलोकनोपरान्त वापस कर दिया जायेगा। किन्तु उक्त (ग)..... उसे सिनेमा में जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत फिल्म के कार्यक्रम की प्रति सहित सुगमता पूर्वक उपलब्ध करायेगा और उसे सिनेमा का निरीक्षण करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिस फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है, वह वही है जिसके लिए कार्यक्रम, सारांश और निर्माता/वितरक से प्राप्त ऊपर उल्लिखित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दिया गया हो।

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(22) यहां उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पीकदान उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। पीकदान में असरकारी निस्संक्रामक होने चाहिए और समय-समय पर उन्हें खाली और साफ किया जाए। सिनेमा परिसर में ऐसे पीकदानों का उपयोग करने के लिए नोटिस प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

(23) सभागार के अंदर चाय, कॉफी, दूध ठंडे पेय या अन्य पेय या खाने-पीने की कोई अन्य वस्तु जो सीलबंद पैकेट में नहीं होंगे, उन्हें बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट—(1) सख्या 20, 21, 22 और 23 ट्रेवलिंग सिनेमा के मामले में लागू नहीं होगी।

(2) शर्त 20 (ग) और 23 सामान्यतः जिला मुख्यालय से दूर स्थित सिनेमाघरों पर लागू नहीं होगी।

(24) जैसा कि .....(ग) में कहा है कि किसी भी समय डूप्लिकेट सीरियल नंबर के टिकट रखने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, डूप्लिकेट सीरियल नं० या किसी अन्य तरह का जाली टिकट मिलता है, पकड़ा जाता है या कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो ये माना जाएगा कि टिकटों का उपयोग मनोरंजन कर चोरी के लिए किया जा रहा है।

(25) यह कि उक्त (ग).....के नियम 6 के अनुसार प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित प्रत्येक फिल्म की सूचना जिला अधिकारी को भेजने के साथ सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के खंड 6 ए के प्रावधानों के अनुसार फिल्म के वितरक से प्राप्त मूल प्रमाण के साथ प्रमाणित प्रति को भी जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। मूल प्रमाण-पत्र को अवलोकन के बाद लौटा दिया जाएगा (ग).....के अनुसार सिनेमा पर सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी को दी गई फिल्म प्रदर्शन के कार्यक्रम की सूची को दिखाना होगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म, जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है, वह वही है जिसके कार्यक्रम और सारांश की प्रमाणित प्रति निर्माता/वितरक से प्राप्त किया है।

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(22) यह कि उक्त (ग).....जिला मजिस्ट्रेट को प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित प्रत्येक फिल्म की सूचना प्रेषित करने के अतिरिक्त उस वितरक का नाम और पता भी सूचित करेगा, जिससे फिल्म प्राप्त की गयी हों और यह भी चलाना होगा कि क्या फिल्म प्रतिशत या नियत किराया के आधार पर ली गई है। यदि किसी प्रदर्शक ने साप्ताहिक किराया पर अपनी फिल्म को दिया है, तो वह उस व्यक्ति से यह सूचना प्राप्त करेगा जो साप्ताहिक किराया पर सिनेमा लिया हो और उक्त सूचना जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।

(23) प्रतिरक्षाकर्मियों को प्रतिरक्षाकर्मी टिकट पहचान पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जारी किये जायेंगे और संबंधित व्यक्ति की परिचय पत्र संख्या या उसका नाम प्रतिरक्षा कर्मियों के टिकटों पर और कार्डर फाइल में अंकित किया जायेगा।

(24) यह कि उक्त (ग).....ग्रहण किये गये प्रत्येक शो में पर्यावरण पर कम से कम दो स्लाइडर/मैसेज निःशुल्क प्रदर्शित करायेगा।

(25) यह कि उक्त (ग).....विकलांगता व्यक्तियों के लिये व्हील चेयर एवं अन्य अपेक्षित तथा संभाव्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(26) उक्त के अनुसार (ग) .....उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के नियम-13 के तहत सिनेमा हाल में एक रेड बाक्स लगाना होगा जिसमें चाबी लगाने की सुविधा हो, उसके ऊपर हिन्दी में फार्म "बी" लिखा हो। उसमें पूरी तरह से भरे हुए फार्म को "बी" को डालना होगा। बाँक्स को लगाने का स्थान जिला मनोरंजन कर अधिकारी/इंस्पेक्टर द्वारा लिखित रूप से दी जाएगी। यह स्थान प्रबन्धक के कार्यालय/बुकिंग कार्यालय से दूर होगा, लेकिन गेट बंद होने पर भी सिनेमा के बाहरी द्वारा से किसी भी निरीक्षण के समय बाँक्स दिखाई देगा। शो चलने के दौरान बाँक्स पर एक लाख बल्ब जलना चाहिए। मैनेजर शो शुरू होने के बाद रजिस्टर से फार्म बी को अलग कर उसे भरेगा कि वर्तमान शो से किन सौ या हजार का मनोरंजन कर एकत्र हुआ, फार्म बी की दोनों प्रतियों के कॉलम में वो उस संख्या को भरेगा। उसके बाद फार्म बी को उक्त बाक्स में डाला जाएगा, फार्म बी की सभी संख्याओं को भरकर जमा करने का जो निर्धारित समय है उसके दस मिनट के अंदर ही फार्म को भरकर डाल देना होगा। निरीक्षण के दौरान मैनेजर निरीक्षण अधिकारी के सामने बाँक्स को खोलकर फार्म बी दिखाएगा। प्रत्येक शो के खत्म होने के बाद मैनेजर फार्म बी को बाँक्स से निकालेगा और अलग फाइल में रखेगा। निर्धारित समय के भीतर यदि बाँक्स में फार्म बी को भर कर नहीं डाला जाता है तो यह माना जाएगा कि किसी न किसी तरह मनोरंजन कर की चोरी की जा रही है।

(27) उक्त के अनुसार (ग).....जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए भेजी जा रही प्रत्येक फिल्म की सूचना के अलावा, उनके वितरकों का नाम और पता भी बताना होगा, जिनसे फिल्म मिली है यह भी बताना होगा कि क्या फिल्म प्रतिशत या निश्चित किराया आधार पर ली गई है या नहीं। यदि किसी प्रदर्शक ने साप्ताहिक किराया पर अपनी फिल्म को दिया है, तो वह उस व्यक्ति से इसकी जानकारी को प्राप्त करेगा जिसने साप्ताहिक किराया पर फिल्म को लिया है और जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देगा।

(28) उक्त के अनुसार (ग).....उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के नियम 13 के अनुसार फार्म बी मनोरंजन कर आयुक्त यू0पी0 द्वारा अनुमोदित प्रेस द्वारा मुद्रित या किसी अन्य सुरक्षा प्रेस द्वारा तैयार किया जाएगा। फार्म की लागत नकद में जमा करने के बाद इसे मनोरंजन कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। फार्म बी कोई अन्य रजिस्टर, हाथ से बनाया हुआ या किसी अन्य प्रेस से मुद्रित फार्म का उपयोग मान्य नहीं होगा।

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

दिनांक .....20

जिला मजिस्ट्रेट

अनुसूची

श्रेणी

सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या का उल्लेख  
संख्या अग्निशमन साधित्र

अवस्थिति

वर्णन और आकार

संख्या

वर्णन और आकार

संख्या

शौचालय सीटों और मूत्रालयों की संख्या सहित  
स्वच्छता संबंधी उपस्कर

अभ्युक्तियों—नियम-4 में उल्लिखित आवेदन के साथ प्रमाण-पत्रों और योजनाओं का विवरण दिया जाना चाहिये और उक्त योजना की एक प्रति प्रदत्त लाइसेंस के साथ लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित कराकर संलग्न की जानी चाहिये।

दिनांक .....20

जिला मजिस्ट्रेट

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

(29) रक्षा कर्मियों को उनका पहचान पत्र देख कर टिकट दिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति का नाम और कार्ड संख्या उनके टिकट और काउंटर फाइल में दर्ज की जाएगी।

(30) उक्त के अनुसार (ग).....मैनेजर प्रत्येक शो के बाद बी फार्म को बॉक्स से निकाल कर फाइल में लगाएगा और सप्ताह के अंत में जिला अधिकारी के सामने प्रस्तुत उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के नियम-16 के प्रावधान के अनुसार, उस फॉर्म में किसी भी प्रविष्टि में कोई भी उपरिलेखन अथवा बिगाड़ नहीं होगा या लिखित रूप में उस प्रपत्र-बी में कटौती, और यदि कोई हो, तो उसके लिए मैनेजर या वह व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसने फार्म बी पर हस्ताक्षर किया है।

(31) अंतर्वर्तीय सिनेमा लाइसेंस धारी को प्रत्येक शो का विवरण तैयार करना होगा, जिसे शो प्रारंभ होने के एक घंटे के भीतर या अंतराल से पहले, इन दोनों में से जो पहले हो, जिसमें अंतर्वर्तीय सिनेमा का नाम और प्रदर्शन का स्थान तथा प्रदर्शन की तारीख, शो का नाम, शुरु होने का समय, फिल्म का नाम, वितरक का नाम, नाम/न्यूज, रील/डाक्यूमेंट्री फिल्म, लाइसेंस की अवधि, श्रेणी का नाम और प्रत्येक श्रेणी में प्रवेश की दर, प्रत्येक वर्ग और श्रेणी के लिए जारी किए गए टिकटों की संख्या और कुल दर्शकों की संख्या। यह विवरण प्रबंधक के कमरे में या बुकिंग कार्यालय में तैयार रखा जाएगा, यदि मैनेजर का कोई कार्यालय नहीं है तो, किसी निरीक्षक या अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के दौरान मांगने पर इसे तुरंत प्रस्तुत करना होगा। एक हफ्ते के दौरान आयोजित किए गए सभी शो के विवरण की मूल प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत करनी होंगी, उसके साथ में उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के नियम 26 के तहत फार्म "एच" भी लगाना होगा।

(32) उक्त के (ग) .....अनुसार प्रत्येक शो में पर्यावरण पर कम से कम दो स्लाइड्स/संदेश मुक्त में प्रदर्शित करना होगा।

(33) उक्त के (ग) ..... के अनुसार प्रत्येक शो और हर वर्ग के लिए गेट डायरी तैयार की जाएगी, जिसमें उस वर्ग में दर्शकों की संख्या जैसा की उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा-3 के साथ धारा 8(सी) के अनुसार। गेट डायरी के सभी 100 पृष्ठ संबंधित जिला मनोरंजन कर अधिकारी/मनोरंजन कर निरीक्षक द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। इस गेट डायरी को निरीक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भी गेट डायरियों को सुरक्षित रखना होगा। जब तक संबंधित वित्तीय वर्ष के सीएमसी खाते का कर निर्धारण न हो जाए।

(34) उक्त के (ग) ..... विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर और अन्य सम्भव सुविधाएं प्रदान करेगा।

स्तम्भ 2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम

दिनांक ..... जिला मजिस्ट्रेट  
अनुसूची

श्रेणी  
सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या का वर्णन  
संख्या अग्नि उपकरण  
अवस्थिति  
वर्णन और आकार एकजास्ट फैन  
संख्या  
वर्णन और आकार विद्युत पंखे  
संख्या

स्वच्छता अपेक्षाएँ और शौचालय मंत्रालयों की संख्या  
अभ्युक्तियों—नियम-4 में उल्लिखित आवेदन के साथ  
प्रमाण-पत्रों और प्लानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए और  
प्लान की एक प्रति अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः  
प्रमाणित कराकर प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति के साथ  
लगायें।

दिनांक .....20 जिला मजिस्ट्रेट

30-परिशिष्ट-दो का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए परिशिष्ट-दो के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जाएगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1  
विद्यमान नियम  
(नियम 26 (दो) के अधीन)

चलचित्र आपरेटर परमिट प्रपत्र,  
परमिट संख्या.....  
चूँकि

श्री .....(विवरण) और.....(पता) की परीक्षा की गयी है और उसे आपरेटर के कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु अर्ह पाया गया है। उसे एक एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम-26 के अधीन उत्तर प्रदेश के भीतर दिनांक .....को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए चलचित्र मशीन संचालित करने के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाती है। इस परमिट के लिए संदेय 20 रूपये (बीस रूपये) का लाइसेंस फीस वसूल करके राज्य के राजस्व में जमा की जाएगी।

लाइसेंस प्राधिकारी

स्थान .....

दिनांक.....

स्तम्भ 2  
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

जिला मजिस्ट्रेट

श्रेणी  
सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या का वर्णन  
संख्या अग्नि उपकरण  
अवस्थिति  
वर्णन और आकार एकजास्ट फैन  
संख्या  
वर्णन और आकार विद्युत पंखे  
संख्या

स्वच्छता अपेक्षाएँ और शौचालय मंत्रालयों की संख्या  
अभ्युक्तियों—नियम-4 में उल्लिखित आवेदन के साथ  
प्रमाण-पत्रों और प्लानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए और  
प्लान की एक प्रति अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः  
प्रमाणित कराकर प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति के साथ  
लगायें।

दिनांक .....20 जिला मजिस्ट्रेट

30-परिशिष्ट-दो का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए परिशिष्ट-दो के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जाएगा, अर्थात्—

स्तम्भ 2  
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम  
(नियम 26 (दो) के अधीन)

चलचित्र आपरेटर परमिट प्रपत्र,  
परमिट संख्या.....  
चूँकि

श्री .....(विवरण) और.....(पता) की परीक्षा की गयी है और उसे आपरेटर के कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु अर्ह पाया गया है। उसे एक एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम-26 के अधीन उत्तर प्रदेश के भीतर दिनांक .....को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए चलचित्र मशीन डिजिटल प्रोजेक्ट मशीन संचालित करने के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाती है। इस परमिट के लिए संदेय 200 रूपये (दो सौ रूपये) का लाइसेंस फीस वसूल करके राज्य के राजस्व में जमा की जाएगी।

लाइसेंस प्राधिकारी

स्थान .....

दिनांक.....

स्तम्भ 1

स्तम्भ 2

विद्यमान नियम

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

31-परिशिष्ट-तीन का संशोधन-उक्त नियमावली में, परिशिष्ट-दो के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्-

### परिशिष्ट तीन

परिशिष्ट तीन का बढ़ाया जाना-

चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र (नियम-4 के अधीन) सिनेमा (सिंगल स्क्रीन)/मल्टीप्लेक्स/मिनी सिनेमा

### आवेदन पत्र

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... फर्म/कम्पनी..... का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, निवासी ..... भूखण्ड संख्या..... तहसील..... पुलिस थाना..... जिला ..... स्थित सिंगल स्क्रीन/मल्टीप्लेक्स/मिनी सिनेमा सहित सिनेमा लाइसेंस सरकारी योजना (यदि लागू हो) के अधीन प्राप्त करना चाहता हूँ। तदनिमित्त अपेक्षित लाइसेंस प्रदान करने का कष्ट करें।

मैं उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 (यथासंधोति) के नियम-4 के अधीन अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्यांकित दस्तावेज भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/अपलोड कर रहा हूँ:-

1-मूल स्थल तथा परिसर योजना सहित परिसर/चलचित्र प्रोजेक्ट/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के स्वामित्व और सुसंगत उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित 200 मीटर के अर्द्धव्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर और सार्वजनिक मार्ग, जिससे भवन सटा हो, की अवस्थिति का प्रमाण,

2-भवन योजना सहित मूल निर्माण आदेश जिसमें सुसंगत उपबंधों के अधीन सक्षम-प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवनों की ऊंचाई और खण्ड, प्रस्तावित विद्युत प्रतिष्ठापन, स्वच्छता, सफाई और वाहन पार्किंग व्यवस्था सम्मिलित होंगे;

3-सुसंगत उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रत्येक श्रेणी के पृथक-पृथक बैठने की व्यवस्था,

4-संरचनात्मक सुरक्षा और मजबूती से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण-पत्र/अधिभोग प्रमाण-पत्र,

5-सम्बन्धित क्षेत्र के उप निदेशक या सहायक निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का यह प्रमाण-पत्र कि विद्युत प्रतिष्ठापन, अपेक्षित मानकों और विद्यमान नियमों और उपविधियों के अनुरूप है;

6-विद्यमान नियमों और उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप सफाई व्यवस्था का विवरण; और

7-सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्नि शमन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (अग्निशमन) या उसके, जिसके पास अधिकारिता हो, द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का यह प्रमाण-पत्र कि उपलब्ध करायी गयी अग्निशमन साधित्र व्यवस्था और अग्नि के विरुद्ध ग्रहण की गयी पूर्वावधानियाँ, विद्यमान नियमों तथा उपविधियों के अनुरूप है;

8-एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिये अनुमोदित फिल्म की आपूर्ति के लिये अनुमोदित फिल्म के आवेदक तथा वितरक के मध्य करार की प्रति;

9-आवेदक के/फर्म के पैन कार्ड की प्रति;

10-कोई अन्य दस्तावेज/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु उचित समझे।

मैं ..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ, कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सूचना दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

स्थायी पता.....

ई-मेल

फोन/मोबाईल नं0.....

आज्ञा से  
आलोक सिन्हा  
अपर मुख्य सचिव।



In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 194/11-6-2018-M(36/2017), dated March 23, 2018.

**No. 194/11-6-2018-M(36/2017)**  
Lucknow, Dated: March 23, 2018

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 :

**THE UTTAR PRADESH CINEMATOGRAPH (TWENTY-SIXTH AMENDMENT)  
RULES, 2018**

**1. Short Title and Commencement**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Cinematograph (Twenty-Sixth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

**2. Amendment of Rule-2**—In the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951, herein after referred to as the said rules, for rule 2 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

<b>Column-I</b> (Existing Rule)	<b>Column-II</b> (Rule as hereby substituted)
<p><b>2. Definitions</b>--In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context :</p> <p>(i) "Act" means the Uttar Pradesh Cinematograph Act, 1918, as amended from time to time ;</p> <p>(ii) "Auditorium" means that portion of the licensed premises where accommodation is provided for the public to view the exhibition of films ;</p> <p>(iii) "Cinemas" means the entire place licensed for Cinematograph exhibition and includes all appurtenances, plant and apparatus located therein ;</p> <p>(iv) "Government" means the Government of Uttar Pradesh.</p> <p>(v) "Licence" means a written authorization by the Licensing Authority to give Cinematograph exhibitions and granted in the form set out in Appendix 1 to these rules and shall be subject to necessary modifications of amplifications in accordance with any terms or conditions imposed under sub-section (3) of Section 5 of the Act ;</p>	<p><b>2. Definitions</b> :--(1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context ;</p> <p>(i) "Act" means the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (as amended from time to time);</p> <p>(ii) "Auditorium" means that portion of the licensed premises where accommodation is provided for the public to view the exhibition of films ;</p> <p>(iii) "Cinemas" means the entire place licensed for Cinematograph exhibition and exhibitions through digital projection system and includes all appurtenances, plant and apparatus located therein ; and includes Mini Cinema, Multiplex.</p> <p>(iv) "Competent Authority" means the local authority created or established under any law for the time being in force by the State Government which exercises authority over land under its jurisdiction, and has powers to give permission for development of such immovable property.</p> <p>(v) "Government" means the Government of Uttar Pradesh.</p> <p>(vi) "Licence" means a written authorization by the Licensing Authority to give Cinematograph exhibitions and exhibitions through digital projection system, granted in the form set out in Appendix 1 to these rules and shall be subject to necessary modifications of amplifications in accordance with any terms or conditions imposed under sub-section (3) of Section 5 of the Act ;</p>

**Column-I**  
(Existing Rule)

(vi) "Licensee" means a person who has been granted a licence and includes his agent appointed for the purpose under a power of attorney and whose appointment has been intimated in writing to the Licensing Authority.

(vii) "Licensing Authority" means an officer appointed such by Government by notification in the Official Gazette, for specified area ;

(viii) "Permanent Building" means a building which is constructed for permanent use with stone, mud, brick, mortar, cement or other non-inflammable material.

(ix) "Projection Room" means that portion of the cinema in which the Cinematograph machine is erected;

(x) "Special Cinematograph Exhibition" means a cinematograph exhibition given on specified occasion or occasions at a place not ordinarily used for such purpose.

(xi) "Temporary Building" means a building which is not a "permanent building" and includes a booth, tent or similar structure.

(xii) "Temporary Enclosure" means that portion of a place licensed for special cinematograph exhibition or of a travelling cinema, where cinematograph apparatus is kept or erected or where films are stored and wound.

(xiii) "Winding Rooms" means that portion of of the cinema in which cinematograph films are stored and wound.

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

(vii) "Licensee" means a person who has been granted a licence and includes his agent appointed for the purpose under a power of attorney and whose appointment has been intimated in writing to the Licensing Authority.

(viii) "Licensing Authority" means an officer appointed such by Government by notification in the Official Gazette, for specified area ;

(ix) "Permanent Building" means a building which is constructed for permanent use with stone, mud, brick, mortar, cement or other non-inflammable material.

(x) "Projection Room" means that portion of the cinema in which the Cinematograph machine is erected;

(xi) "Special Cinematograph Digital Projection exhibition" means a cinematograph exhibition given on specified occasion or occasions at a place not ordinarily used for such purpose.

(xii) "Temporary Building" means a building which is not a "permanent building" and includes a booth, tent or similar structure.

(xiii) "Temporary Enclosure" means that portion of a place licensed for special cinematograph exhibition or of a travelling cinema, where cinematograph apparatus is kept or erected or where films are stored and wound.

(xiv) "Winding Rooms" means that portion of of the cinema in which cinematograph films are stored and wound.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Amendment of Rule-3**—In the said rules for rule 3 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

**Column-I**  
(Existing Rule)

**3. Application for constructing a building—**

- (1) A person desirous of constructing a permanent building to be used for cinematograph exhibition shall submit an application specifying the site on which the proposed building is to be constructed together with a plan and specification thereof to the officer authorized in this behalf by Government.

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

**3. Application for constructing a building—**

- (1) A person desirous of constructing a permanent building to be used for cinematograph exhibition/exhibition through Digital Projection System shall submit an application specifying the site on which the proposed building is to be constructed together with a plan and specification thereof to the competent authority.

**Column-I**  
(Existing Rule)

- (2) The plan mentioned in the aforesaid sub-rule shall contain the elevations and sections of the buildings, the proposed electrical installations, arrangements for ventilation, sanitation and parking of vehicles and the position of the premises in relation to adjacent premises and public through fares on which the building abuts, within a radius of one furlong.
- (3) The licensing Authority may, if it is satisfied that the site plans and specifications fully conform to the rules, grant to the applicant a certificate signifying his approval thereto. The period within which the construction shall be completed shall also be stated in the certificate.

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

- (2) The plan mentioned in the aforesaid sub-rule shall contain the elevations and sections of the buildings, the proposed electrical installations, arrangements for ventilation, sanitation and parking of vehicles and the position of the premises in relation to adjacent premises and public through fares on which the building abuts, within a radius of 200 metres.
- (3) The Competent Authority may, if it is satisfied that the site plans and specifications fully conform to the rules (relevant provisions of Cinema Building Construction, the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 and the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951) and applicable building byelaws, grant to the applicant a certificate within 60 days from the date of submission of application, signifying his approval to the site plan and specifications thereto.

A Copy of the said certificate with all the relevant documents/NOC's/building construction plans, shall be provided to the Licensing Authority by the competent authority (Development Authority, Awas vikas Parisad, Viniymit Kshetra or any other authority).

**4. Amendment of Rule-4**—In the said rules, for the existing rule 4 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

**Column-I**  
(Existing Rule)

**4. Application for a licence--**

An application for the grant of a new licence for cinematograph exhibition shall be made to the Licensing Authority and shall contain full particulars of the ownership of the premises and the cinematograph machine and shall be accompanied with the following documents-

- (a) The order or approval of plan under Rule 3(1);

**Column-II**

(Rule as hereby substituted)

**4. Application for a licence--**

An application for the grant of a new licence for cinematograph exhibition or exhibitions through digital projection system shall be made in the Form mentioned in Appendix III to the Licensing Authority and shall contain full particulars of the ownership of the premises and the cinematograph machine/Digital Projection machine and shall be accompanied with the following documents-

- (a) The Proof of ownership of the premises and cinematographi projector/digital projection system with the original plan of site and premises and the position of the premises in relation to adjacent premises and public through fares on which the building abuts, within a radius of 200 meters, approved by the competent authority under the relevant provisions.

**Column-I***(Existing Rule)*

(b) Plan of the building and premises containing the specification enumerated in sub-rule (2) of Rule 3;

(c) Plan of seating arrangements for each class, separately ;

(d) Certificate from the Electrical Inspector to Government that the electrical installations conform to the required standards and the existing rules.

(e) Certificate from the Medical Officer of Health having jurisdiction that the arrangements for sanitation conform to the requirements of the existing rules; and

(f) Certificate from the Regional Fire Officer having jurisdiction that the arrangements for fire-fighting appliances provided and the precautions taken against fire conform to the requirements of the existing rules.

**Column-II***(Rule as hereby substituted)*

(b) The original order of construction with building plan, which shall contain the elevations and sections of the buildings, the proposed electrical installations, arrangements for ventilation, sanitation and parking of vehicles approved by the Competent Authority under the relevant provisions.

(c) Plan of seating arrangements for each class, separately, approved by the competent authority under the relevant provisions.

(d) Completion certificate/occupation certificate issued by the Competent Authority; with no objection certificate regarding structural safety and stability.

(e) Certificate from Deputy Director or Assistant Director of Electrical Security Department of concerned area or the person authorized by him that the electrical installations conform to the required standards and the existing rules and bylaws.

(f) The details of arrangements for sanitation conforming to the requirements of the rule 13 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 and the Building and Development byelaws;

(g) Certificate from Chief Fire Officer/Officer in-charge (Fire) of concerned area or the person authorized by him having jurisdiction that the arrangements for fire-fighting appliances provided and the precautions taken against fire conform to the requirements of the existing rules and bylaws.

(i) On submission of application complete in all respect the licensing authority shall grant or refuse to grant license within 30 days after the date of submission of application in such manner as may be prescribed by the State Government, on expiry of said period the license shall be deemed to be granted.

(ii) The applicant may submit his application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fees. If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, license shall be granted through the web portal within 30 days and the same shall be sent through email to the applicant. The applicant may also download the said license from the departmental web portal.

Provided if the license is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such license shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority and legal action shall be taken against applicant.

**5. Amendment of Rule-5**—In the said rules for the Existing rule 5 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

**Column-I**

*(Existing Rule)*

**5. Inspection by Electric Inspector--**

For the purposes of giving a certificate mentioned in clause (d) of the preceding rule, the Electrical Inspector shall inspect the building and the requirements of the said clause may be temporarily dispensed with by Licensing Authority where the Electrical Inspector, on receipt of a written request from the applicant, has for six weeks there from, been unable to carry out the inspection.

**Column-II**

*(Rule as hereby substituted)*

**5. Inspection for Electrical Installations and Security-**

For the purposes of giving a certificate mentioned in clause (e) of the preceding rule, the Deputy Director or Assistant Director of Electrical Security Department of concerned area or the person authorized by him shall inspect the building and the requirements of the said clause may be temporarily dispensed with by Licensing Authority where the authorized officer of the Electrical Security Department, on receipt of a written request from the applicant, has for six weeks there from, been unable to carry out the inspection.

**6. Amendment of Rule-6**—In the said rules, the existing rule 6 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

**Column-I**

*(Existing Rule)*

**6. Inspection by Medical Officer of Health and Regional Fire Officer—**

The Medical Officer of Health and the Regional Fire Officer shall likewise, before, giving a certificate make an inspection of the premises and the building and where they are unable to make an inspection within six weeks after the receipt of a written request, the requirements as to the filling of their certificates may be temporarily dispensed with by the Licensing Authority.

**Column-II**

*(Rule as hereby substituted)*

**6. Inspection for Sanitation and Fire-Fighting Arrangements—**

The Licensing Authority or a person authorized by him and the Regional Fire Officer of concerned area or the person authorized by him, shall likewise, before, giving a certificate make an inspection of the premises and the building and where they are unable to make an inspection within two weeks after the receipt of a written request, the requirements as to the filling of their certificates may be temporarily dispensed with by the Licensing Authority

**7. Amendment of Rule-7**—In the said rules in rule 7, for sub-rule (1) and (2) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

**Column-I**

*(Existing Rule)*

**7. Conditions for granting and renewing a licence—**

- (1) No Licence shall be granted or renewed in favour of any person unless (i) he or his agent appointed for the purpose referred to in Rule 2(vi) is residing in the city, town or area within whose limit the cinematograph exhibition is intended to be given, and
- (ii) The licensing authority is satisfied that the requirements of those rules have been fully complied with.

**Column-II**

*(Rule as hereby substituted)*

**7. Conditions for granting and renewing a licence—**

- (1) No Licence shall be granted or renewed in favour of any person unless (i) he or his agent/manager appointed for the purpose referred to in Rule 2(vii) resides within the district in which cinematograph exhibition is intended to be given
- (ii) The licensing authority is satisfied that the requirements of the relevant rules have been fully complied with.

**Column-I**  
(Existing Rule)

(2) No building, except one already licensed for cinematograph exhibition before August 1, 1974, shall be so licensed-

- (a) If it is situated within a radius of 200 meter from the Raj Bhawan, the State Secretariat, the High Court, the State Public Service Commission or the Board of Revenue ; or
- (b) If it is situated within a radius of 75 meter from--
- (i) Any recognized educational institution (other than primary School) or any residential institution attached thereto; or
- (ii) A public hospital with 25 or more indoor patients; or
- (iii) Any building housing and office of a head of the department of the Central or the State Government or the district civil or criminal courts; or
- (iv) Any other institution which the Government may consider necessary in public interest to declare an institution to which this clause applies; or 7(2) (c) if for any other sufficient reason to be recorded, the licensing authority is satisfied that the location of a cinema at the site of the building is not public interest.

**Explanation--**For the purpose of this sub-rule, the licensing authority shall, subject to the general control of the State Government, determine what is a public hospital or a recognized educational institution, and its decision shall be final and conclusive.

**8. Amendment of Rule-8**—In the said rules for the existing rule & set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

**Column-I**  
(Existing Rule)

**8. Requirement of permanent buildings—**

A permanent building shall *inter alia* fulfill the following requirements :

- (i) It shall be provided with an efficient lightning conductor.
- (ii) If entirely detached the minimum distance between it and other buildings shall be not less than 20 feet with a free all round space so as to enable the audience to disperse quickly in the event of a fire and to permit easy access to fire engines and fire fighting appliances;

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

(2) No building, except one already licensed for cinematograph exhibition or exhibitions through digital projection system before August 1, 1974, shall be licensed, if it is situated within a radius of 200 meter from the Raj Bhawan, the State Secretariat or the High Court;

**Column-II**

(Rule as hereby substituted)

**8. Requirement of permanent buildings—**

A permanent building shall *inter alia* fulfill the following requirements :

- (i) It shall be provided with an efficient lightning conductor.
- (ii) The site and construction of permanent building of cinema/multiples/mini cinema shall fulfill all the requirements/norms and relevant provisions of Byelaws for construction of Cinema Building, 1987 and Building Construction and development byelaws of the State as well as the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951.

**Column-I**  
(Existing Rule)

(iii) If not entirely detached, it shall about on two or more different ways or open spaces providing at all times free means of exit. The different ways or open spaces shall have sufficient width to enable the audience to disperse quickly in the event of fire and to permit easy access to fire engines or other fire-fighting appliances :

Provided that one of the above means of exit shall have a clear width of 35 feet including the footpath and shall be thoroughfare;

(iv) The frontage shall be of adequate length and the building shall have verandahs on two sides.

(v) If accommodation is meant to be provided for more than 1000 person, its distance from other buildings shall be such as the Licensing Authority may be a special written order require;

(vi) It shall not be constructed under or on the top of any other building without the special written sanction of the Licensing Authority.

(vii) Where it is in close proximity of another building, it shall be separated there from by a wall or other structure of fire-resisting material in a manner approved by the Licensing Authority, whose decision as to whether any building is in close proximity shall be final. No opening in the walls or in any part of the building as may be likely to communicate fire to a neighbouring building shall be made ;

(viii) The distance between the floor of the auditorium and the ceiling or any covering immediately above shall not be less than 12 feet ;

(ix) The landings, doors, staircases, lobbies and corridors shall be not less than 4 feet 6 inches in width if accommodation is meant for 400 persons or less and not less than 6 feet in width when accommodation is provided for more than 400 persons.

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

NOTE : For the site approval and construction of multiplex, the provisions stated in Chapter 14 of the Building Construction and Development byelaws shall also be applicable.

(iii) Where possible gradients or inclined floors shall be used instead of steps, but no gradient or inclined floor shall be steeper than 1 in 10;

(iv) All exit doors for the use of the public in cinemas already in existence shall be not less than 7 feet in height and 4 feet 6 inches in width and not less than 7 feet 6 inches in height and 5 feet in width in cinemas licensed after the coming into force of these rules, the width being measured between leaves of the doors in open position. The doors shall open outwards and when open shall not obstruct any gangway, passage, staircase landing or lobby, but rest flush against the walls.

(v) Cloak rooms where provided shall be so situated that their use causes no obstruction to the free use of any existing corridor or other passage for exit of the audience.

**Column-I**  
(Existing Rule)

Provided that for the purposes of the sub-rule, the balcony shall be treated as a separate accommodation but for the ground floor the total seating capacity of the auditorium shall be taken into consideration.

(x) All staircases shall be constructed of non-inflammable material with steps not less than 10 inches wide and not more than 7 inches high. Each flight shall have not more than 15 and not less than 3 steps ;

(xi) The floor of all landings, staircases, passages and gangways shall be of sufficient strength to carry 120 lb. live load per square feet and shall be constructed of fireproof construction.

(xii) Every staircase forming an exit from an upper storey to the ground floor shall have on both sides walls of bricks or other fire-resisting material in the storey's through which it passes and no opening shall be made into the auditorium except when required for an exit from the upper storey which it serves. The staircase leading to the upper storey may, however, on one side, instead of a wall, be provided with extra stout handrails or balusters. Enclosed staircase except on platform and landings with a length exceeding the width of the stairs shall have on both sides strong handrails firmly secured to the walls by strong metal brackets sunk into the walls to a depth of three inches. For all upper storey's intended for use by the public there shall be provided at least two staircases;

(xiii) Stairs turning at angles shall have a proper landing at each turn and no winders shall be introduced; all landings shall be provided with emergency lights;

(xiv) Where possible gradients or inclined floors shall be used instead of steps, but no gradient or inclined floor shall be steeper than 1 in 10;

(xv) All exit doors for the use of the public in cinemas already in existence shall be not less than 7 feet in height and 4 feet 6 inches in width, and not less than 7 feet 6 inches in height and 5 feet in width in cinemas licensed after the coming into force of these rules, the width being measured between leaves of the doors in open position. The doors shall open outwards and when open shall not obstruct any gangway, passage, staircase landing or lobby, but rest flush against the walls.

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)



**Column-I**  
(Existing Rule)

(xvi) Cloak rooms where provided shall be so situated that their use causes no obstruction to the free use of any existing corridor or other passage for exit of the audience.

**9. Amendment of Rule-9**—In the said rules for the existing rule 9 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I**  
(Existing Rule)

9. License for permanent building—

A licence for cinematograph exhibition may be granted by the Licensing Authority in respect of permanent building for a period not exceeding three years, renewable on expiry for a similar period of not more than three years at a time.

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

9. License for permanent building—

A licence for cinematograph exhibition or exhibitions through digital projection system may be granted by the Licensing Authority in respect of permanent building for a period not exceeding five years, renewable on expiry for a similar period of not more than five years at a time.

**10. Amendment of Rule-10**—In the said rules the existing rule 10 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I**  
(Existing Rule)

10. Every license granted prior to the publication of these rules in the Official Gazette shall be deemed to terminate within three months after the date of such publication unless the period of the license expires before that date :

Provided that the proportionate amount of the license fee shall, if the period exceeds one month, be refunded to the nearest anna. The application for refund in such cases should be submitted to the Licensing Authority within a period of three months from date of the termination of the license.

**11. Amendment of Rule-11**—In the said rules for the existing rule 11 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

**Column-I**  
(Existing Rule)

11. Electrical requirements—

In addition to the electrical requirements specified in Rule 8, the licensee shall comply with the provisions of the Indian Electricity Act, 1910 and the rules framed there under so far as the same are applicable to the cinema.

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

10. omitted

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

11. Electrical requirements—

In addition to the electrical requirements specified in Rule 8, the licensee shall comply with the provisions of the Electricity Act, 2003 and rules and Departmental byelaws so far as the same are applicable to the cinema and multiplex.

**12. Amendment of Rule-13**—In the said rules, in rule 13 for the existing sub-rules (viii) and (ix) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I**

*(Existing Sub-rule)*

(viii) The doors and windows of the halls of the building shall be left open for at least three hours every morning and for half an hour between shows. During the half hour intervals between the two the auditorium shall be disinfected with an aerosol approved by the Medical Officer of Health. The auditorium shall be swept, cleaned and disinfected every morning.

(ix) The Medical Officer of Health shall be responsible for periodical inspections of all cinemas licensed under the Cinematograph Act, 1918 (II of 1918), situated within the municipal limit to see that sanitary conveniences and arrangements for making the premises clean as provided under the rules are being complied with and any instructions given in this regard as laid down in the rules shall be complied with by the management within the time specified.

**Column-II**

*(Sub-rule as hereby substituted)*

(viii) The doors and windows of the halls of the building shall be left open for at least three hours every morning and for half an hour between shows. During the half hour intervals between the two the auditorium shall be disinfected with an aerosol approved by the Chief Medical Officer/Health Officer of concerned area or the person authorized by him. The auditorium shall be swept, cleaned and disinfected every morning.

(ix) The Licensing Authority or the person authorized by him shall be responsible for periodical inspections of all cinemas licensed under the Act, situated within the municipal limit/local area to see that sanitary conveniences and arrangements for making the premises clean as provided under the rules are being complied with and any instructions given in this regard as laid down in the rules shall be complied with by the management within the time specified.

**13. Amendment of Rule-14**—In the said rules for the existing rules 14 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I**

*(Existing Rule)*

**14. Seating accommodation—**

(i) The Licensing Authority shall determine the maximum number of seats for each class separately and the same shall be specified in the license and prominently displayed near the entrance door to every class of the cinema.

(ii) The Licensing Authority may grant permission for seating in any permanent cinema building including Multiplex on any floor, if he is satisfied that such permanent cinema or Multiplex building has been constructed on the permission of the Competent Authority, and the fire safety measures, entry-exit passages and emergency passage to viewers, electrical safety measures, adequate distance from sensitive places, as laid down by Government from time to time, have been taken therein.

**Column-II**

*(Rule as hereby substituted)*

**14. Seating accommodation—**

(i) The Licensing Authority shall determine the maximum number of seats for each class separately and the same shall be specified in the license and prominently displayed near the entrance door to every class of the cinema.

(ii) The Licensing Authority may grant permission for seating in any permanent cinema building including Multiplex on any floor, if he is satisfied that such permanent cinema or Multiplex building has been constructed on the permission of the Competent Authority, and the fire safety measures, entry-exit passages and emergency passage to viewers, electrical safety measures, adequate distance from sensitive places seating arrangements gangways etc., as laid down in the Byelaws for construction of Cinema buildings, 1987 published by the Bureau of Indian Standards.

Explanation for the purpose of this sub-rule..

1. "Competent Authority" means and authority empowered to sanction building construction plans under any law for the time being in force.

**Column-I**  
(Existing Rule)

2. "Multiplex" means a group or conglomeration of two or more than two cinema halls, within the same premises with commercial, cultural and other entertainment related facilities.

(iii) The seating shall be arranged as to leave free access to the exits.

(iv) The seating space assigned to each person shall be not less than 18 inches. Seat shall have back supports and armrests for each person.

(v) The rows of seats shall be so arranged as to leave a clear space of not less than 15 inches between the back of any seat and the foremost portion of the seat in the row behind measured between perpendiculars.

(vi) All seats except in the boxes, shall be securely fixed to the floor or shall be firmly secured together in complete lengths; the complete line shall be firmly attached to the floor.

Seating on the floor will not be allowed in permanent building.

(vii) The distance between the front row of the seats and the screen shall not be less than 18 feet.

**14. Amendment of Rule-15**—In the said rules for the existing rules 15 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I**  
(Existing Rule)

15. Exits-

A clear gangway not less than three feet wide shall be kept all round and not less than four feet wide in the centre; no seat shall be more 10 feet from gangway:

Provided that in an auditorium of less than 30 feet in width the centre gangway may be omitted. Temporary seats must on no account be placed in the gangway :

(i) The Licensing Authority may, having regard to the large number of seats in an auditorium, require that a gangway or gangway of a specific width, shall be provided parallel to the rows of seats to secure direct access to exits.

(ii) An adequate number of clearly indicated exit doors, as may be determined by the Licensing Authority, shall be provided to afford safe and speedy egress for the audience.

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

15. Exits-

Provision related to gangway and exits shall conform to the byelaws for Construction of Cinema buildings, 1987 published by the Bureau of Indian Standards.

**Column-I**  
(Existing Rule)

- (iii) All doors through which the public must pass in using stairway corridor or other passage for exit shall remain unbolted during the entire period of the exhibition.
- (iv) Passages, gangways, corridors, landings and lobbies shall be kept free from all obstruction at all times to enable quick egress.
- (v) Walls of passages, gangways or corridors shall not have any recess nor shall there be any projection there from within 6 feet of the ground light shall not be hung to a height less than 7 feet above floor level. Fire appliances are not included with in the purview of this sub-rule.
- (vi) Two separate exits not leading into the same thoroughfare shall be provided to every floor or gallery and no stairway shall discharge into a passage or corridor against or across the direction of the exit; provided that the Licensing Authority may accept any other arrangements which are likely to ensure adequate safety.

**15. Amendment of Rule-17**—In the said rules for the existing rules 17 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely ;

**Column-I**  
(Existing Rule)

17. (1) The following fire-extinguishing appliances shall be provided—

*In the enclosure.*--A blanket, a bucket of dry sand and a C.T.S. extinguisher of a pattern approved by the Licensing Authority.

*(In the auditorium).*--Four portable fire-extinguishers of a pattern approved by the Licensing Authority and supply of not less than five gallons of water per 100 square feet of floor area stored as follows :

Thirty-three per cent of the supply or 60 gallons whichever is greater, stored in buckets of two or three gallons capacity each inside the auditorium and the balance stored in tanks or cisterns or buckets of any capacity so arranged as to be easily accessible, the arrangements in this regard having been approved by the Licensing Authority.

(2) These appliances shall be so disposed as to be readily available for use. The buckets shall have round bottoms and handles. They shall be painted red with the word "Fire" painted on them in large black letters in English and the local vernacular.

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

17. The arrangements for fire security and fire-fighting appliances e.g. fire extinguisher, Fire Aid hose reel, down comer, Automatic Sprinkler System, Manually Operated electronic fire alarm system, terrace tank, terrace pump shall be done in accordance with the provisions laid down in Building construction and Development Byelaws and norms prescribed in the National Building Code.

**Column-I**  
(Existing Rule)

(3) The portable fire-extinguishers shall be of the two gallown size; they shall be installed at an adequate height from the ground. A record regarding the maintenance of portable extinguishers shall be kept. Tetrachloride extinguisher shall not be permitted in the enclosure.

(4) Where a portable fire-extinguisher of the chemical combination pressure type is older than three years or has not been tested previously it shall be rested by hydraulic pressure by the fire officer, to show that it can withstand for one minute a pressure of 350 lb, per square inch and a certificate of such test shall be submitted to the Licensing Authority, similar tests shall be repeated annually.

(4-A) In addition to the fire-fighting quipment specified in sub-rule (1) the following equipment shall be provided and maintained;

At least 4 stirrup pumps and 8 buckets filled with a water if there is no gallery or first floor in the premises; and at least 6 stirrups pumps and 12 buckets filled with water if there is a gallery or first floor in the premises in which case, at least 2 stirrup pumps and 4 buckets filled with water shall be kept in the gallery or first floor.

Attendants and staff shall be trained in the use of all fire-fighting equipment maintain in the premises.

(5) The licensee shall--

(i) Once in every three months empty the container of each portable fire-extinguisher provided in the licensed premises, clean its nozzles and working parts, still the liquids in it and top it up, immediately record the date having done so on a slip of paper and paste the same on the/outside of such container; and

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

**Column-I**  
(Existing Rule)

(ii) once in every year discharge each portable fire-extinguisher provide in the licensed premises and recharge it and immediately record the date of such recharge in durable paint on the external surface of the container of the portable fire-extinguisher.

(6) In addition to the requirements of sub-rule (1) and sub-rule (4-A) there shall be provided such other facilities for fighting fire as may be required by the Licensing Authority.

**16. Amendment of Rule-18**—In the said rules the existing rule 18 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I**  
(Existing Rule)

18. Prohibition of use of building for purposes other than that of a cinema.

No portion of a cinema shall be used as a restaurant, boarding house, shop, factory, workshop or manufactory, or for the purposes of storage or for the preparation or sale of food, drink except with the sanction of Licensing Authority and subject to such conditions and restrictions as may be imposed and specified by him in this behalf nor shall any portion of the cinema be used for residential purpose by day or night.

**17. Amendment of Rule-20**—In the said rules for the existing rule 20 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I**  
(Existing Rule)

20. *Prohibition on naked light and smoking and winding room.*—No matches and candles or any other naked light shall be used nor shall smoking be permitted within the projection room or winding room. A notice bearing in red letters the words "smoking strictly prohibited" shall be prominently displayed in each of those rooms.

**Column-II**  
(Rule as hereby substituted)

**Column-II**

(Rule as hereby substituted)

18. omitted.

**Column-II**

(Rule as hereby substituted)

20. *Prohibition on naked light and smoking in cinema premises*—naked light and smoking shall not be permitted in cinema premises including auditorium. A notice bearing in red letters the words "smoking strictly prohibited" shall be prominently parts of the cinema/multiplex premises.

**18. Amendment of Rule-25**—In the said rules, in the rule 25, the following note shall be inserted at the end :

*Note: The above provisions stated in Rules (19), (21), (22), (23), (24) and (25) shall not be applicable on cinemas where the exhibition is performed by Digital Projection System.*

**19. Amendment of Rule-26**—In the said rules, for ruled 26 set out in column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

<b>Column-I</b> (Existing rule)	<b>Column-II</b> (Rule as hereby substituted)
<p><b>26. Operators-</b></p> <p>(i) At least two operators and one additional operator for every additional machine holding valid permits shall be engaged in manipulating each projector and no other person shall be allowed within ten feet of the machine during the exhibition except the licensee himself or any technician authorized in writing by the licensee. It shall be the sole duty of one of the operators to take charge of the films after they have passed through machine. The other operators shall be in charge of the machine and the projection room or operating box.</p> <p>(ii) An operator's permit shall be granted by the Licensing Authority in the form set out in Appendix II and a Fee of Rs. 20 shall be chargeable for each such permit. No fee shall, however, be charged in respect of permits issued to operators in Government employment.</p> <p>(iii) A permit shall not be granted to operator unless he—</p> <p>(a) Possesses a working knowledge of cinematograph machine and in particulars a working knowledge of the type of machine which he is to operate;</p> <p>(b) Is thoroughly conversant with the rules and conditions imposed regarding precautions against fire;</p> <p>(c) Is conversant with the speedy and effective method of dealing with an outbreak of fire;</p> <p>(d) Is proficient in the handling, winding, repairing and cleaning of films.</p>	<p><b>26. Operators-</b></p> <p>(i) (1) At least two operators and one additional operator for every additional machine holding valid permits shall be engaged in manipulating each projector and no other person shall be allowed within ten feet of the machine during the exhibition except the licensee himself or any technician authorized in writing by the licensee. It shall be the sole duty of one of the operators to take charge of the films after they have passed through machine. The other operators shall be in charge of the machine and the projection room or operating box.</p> <p>(2) But in case of digital projection system, only two operators shall be allowed.</p> <p>(ii) An operator's permit shall be granted by the Licensing Authority in the form set out in Appendix II and a Fee of Rs. 200 shall be chargeable for each such permit. No fee shall, however, be charged in respect of permits issued to operators in Government employment.</p> <p>(iii) A permit shall not be granted to operator unless he—</p> <p>(a) Possesses a working knowledge of cinematograph/digital projector machine and in particulars a working knowledge of the type of machine which he is to operate;</p> <p>(b) Is thoroughly conversant with the rules and conditions imposed regarding precautions against fire;</p> <p>(c) Is conversant with the speedy and effective method of dealing with an outbreak of fire;</p> <p>(d) Is proficient in the handling, winding, repairing and cleaning of films.</p>

**20. Amendment of Rule-28**—In the said rules, in rule 28, for the existing sub-rule (1) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

<b>Column-I</b> (Existing sub-rule)	<b>Column-II</b> (Sub-rule as hereby substituted)
<p>(1) A person desirous of obtaining a license for a travelling cinema shall apply to the District Magistrate within whose jurisdiction the exhibition is proposed to be given and shall attach to his application a plan and description of the building. The plan shall show the seating arrangement in the auditorium with exits, gangways, passages and structures ( if any)</p>	<p>(1) A person desirous of obtaining a license for a travelling cinema shall apply to the District Magistrate within whose jurisdiction the exhibition is proposed to be given and shall attach to his application, <i>with a plan and description of the building and NOC's issued by the authorized officer of the Fire, Electrical Security, Health and Police Dept. of the concerned area.</i> The plan shall show the seating arrangement in the auditorium with exits, gangways, passages and structures ( if any)</p>

**21. Amendment of Rule-29**—In the said rules, for rule 29, set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

<b>Column-I</b> (Existing rule)	<b>Column-II</b> (Rule as hereby substituted)
<p>29. Enclosure of Travelling cinemas or special cinematograph exhibition-A "Temporary Enclosure" shall fulfill the following requirements:</p> <p>(i) <i>Construction</i>-It shall consist of a smoke-proof box constructed of sheet iron or steel on a substantial framework and fastened together. The internal height from the floor to roof shall be at least 10 ft. The floor shall 48 sq. ft. if one machine is operated and 24 sq. ft. for every additional machine shall be necessary. The room shall be of such width as may allow sufficient space behind the machine for operators to pass easily. The building shall in every other respect conform to the requirements of a projection room or in a permanent building. Provided that if the temporary enclosure is kept in situ or store on the premises and does not travel with a portable apparatus thereby avoiding risk of breakage, such enclosure may be of asbestos sheeting or other type of fire-resisting material on a substantial fire-resisting framework, the type of fire-resisting material used shall be approved by the Regional Fire Officer.</p>	<p>29. Enclosure of Travelling cinemas or special cinematograph exhibition-A "Temporary Enclosure" shall fulfill the following requirements:</p> <p>(i) <i>Construction</i>-It shall consist of a smoke-proof box constructed of sheet iron or steel on a substantial framework and fastened together. The internal height from the floor to roof shall be at least 10 ft. The floor shall 48 sq. ft. if one machine is operated and 24 sq. ft. for every additional machine shall be necessary. The room shall be of such width as may allow sufficient space behind the machine for operators to pass easily. The building shall in every other respect conform to the requirements of a projection room or in a permanent building. Provided that if the temporary enclosure is kept in situ or store on the premises and does not travel with a portable apparatus thereby avoiding risk of breakage, such enclosure may be of asbestos sheeting or other type of fire-resisting material on a substantial fire-resisting framework, the type of fire-resisting material used shall be approved by the <i>Chief Fire Officer/Officer in-charge (Fire) of concerned area or the person authorized by him having jurisdiction that the arrangements for fire-fighting appliances provided and the precautions taken against fire conform to the requirements of the existing rules and byelaws.</i></p>



**Column-I***(Existing rule)*

(ii) *Electrical and other necessary apparatus*- All apparatus within a temporary enclosure shall likewise satisfy the requirements prescribed for similar apparatus in a permanent building except that such apparatus may be of a portable type.

(iii) *General working*-The rules regarding fire-fighting appliances, prohibition of inflammable material, smoking, lights, matches, film re-winding and non-admittance of persons other than the operators, the licensee or technician, prescribed for projection rooms in permanent building shall apply to temporary enclosure.

**22. Amendment of Rule-31**-In the said rules, for the existing rule 31, set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I***(Existing rule)*

31. Inspection of traveling cinemas by Electric Inspector-

(i) No license shall be granted to travelling cinema till the Electric Inspector to Government has, after inspection, certified that the equipment is mechanically safe and is proved with adequate safety apparatus:

Provided that if the Electric Inspector is unable so to certify before the day on which it is proposed to exhibit the films; the Licensing Authority may, after satisfying himself that the inspection fee has been deposited, that the licensee has furnished a copy of his tour programme and that the provisions of Rule-31 and 32 has been complied with, grant a provisional license. The tour programme shall forthwith be sent by the applicant to the Electric Inspector to government and shall arrange to carry out his inspection as soon as possible thereafter.

(ii) All travelling cinemas whose stay in the district is likely to extend beyond one month, shall have their installations inspected by the Electric Inspector to the Government.

**Column-II***(Rule as hereby substituted)*

(ii) *Electrical and other necessary apparatus*- All apparatus within a temporary enclosure shall likewise satisfy the requirements prescribed for similar apparatus in a permanent building except that such apparatus may be of a portable type.

(iii) *General working*-The rules regarding fire-fighting appliances, prohibition of inflammable material, smoking, lights, matches, film re-winding and non-admittance of persons other than the operators, the licensee or technician, prescribed for projection rooms in permanent building shall apply to temporary enclosure.

**Column-II***(Rule as hereby substituted)*

31. Inspection of traveling cinemas by *authorized officer* the films, the licensing Authority of *Electrical Security Department*-

(i) No license shall be granted to travelling cinema till the *authorized officer of the Electrical Security Department of the concerned area*, has, after inspection, certified that the equipment is mechanically safe and is proved with adequate safety apparatus:

Provided that if the *authorized officer of the Electrical Security Department of the concerned area*, is unable so to certify before the day on which it is proposed to exhibit may, after satisfying himself that the inspection fee has been deposited, that the licensee has furnished a copy of his tour programme and that the provisions of Rule-31 and 32 has been complied with, grant a provisional license. The tour programme shall forthwith be sent by the applicant to the *authorized officer of the Electrical Security Department of the concerned area*, to government and shall arrange to carry out his inspection as soon as possible thereafter.

(ii) All travelling cinemas whose stay in the district is likely to extend beyond one month, shall have their installations inspected by the *authorized officer of the Electrical Security Department of the concerned area*, to the Government.

**Column-I***(Existing rule)*

(iii) The fees, as may prescribed through notification by the State Government from time to time, shall be levied and credited to the State Government for every initial inspection by the Electric Inspector to Government and also for every subsequent inspection rendered necessary by the detection of defects at a previous inspection which in the opinion of the Electric Inspector make installation unsafe.

**Column-II***(Rule as hereby substituted)*

(3) The fees, as may prescribed through notification by the State Government from time to time, shall be levied and credited to the State Government for every initial inspection by the *authorized officer of the Electrical Security Department of the concerned area*, to Government and also for every subsequent inspection rendered necessary by the detection of defects at a previous inspection which in the opinion of the *authorized officer of the Electrical Security Department of the concerned area*, make installation unsafe.

**23. Amendment of Rule-37**—In the said rules, in rules 37, for the existing sub-rules (1), (2) and (3) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I***(Existing sub-rule)*

(1) In addition to the initial inspection for getting a certificate referred to in Rule-5, every permanent building with electric installation shall be inspected by the Electric Inspector or his representative once every year, if at any such inspection any defects in the installations are noticed he may make further inspections at anytime of the year to satisfy himself that the management has removed defects satisfactorily.

(2) The fees, as may prescribed through notification by the State Government from time to time, for initial and annual inspections and any subsequent inspection, rendered necessary by the existence of defect at the initial or annual inspection, by the Electric Inspector or his representative, shall be payable by the management and shall be credited to the revenues of the State.

(3) Besides the inspection made before the grant of license, the Licensing Authority shall inspect or cause to be inspected any cinema within his jurisdiction at such intervals as it may deemed necessary.

**Column-II***(Sub-rule as hereby substituted)*

(1) In addition to the initial inspection for getting a certificate referred to in Rule-5, every permanent building with electric installation shall be inspected by the *authorized officer of the Electrical Security Department of the concerned area*, once every year, if at any such inspection any defects in the installations are noticed he may make further inspections at anytime of the year to satisfy himself that the management has removed defects satisfactorily.

(2) The fees, as may prescribed through notification by the State Government from time to time, for initial and annual inspections and any subsequent inspection, rendered necessary by the existence of defect at the initial or annual inspection, by the *authorized officer of the Electrical Security Department of the concerned area*, shall be payable by the management and shall be credited to the revenues of the State.

(3) Besides the inspection made before the grant of license, the Licensing Authority *or the person authorized by him*, shall inspect or cause to be inspected any cinema within his jurisdiction at such intervals as it may deemed necessary.

**24. Amendment of Rule-39**—In the said rules, for rule 39 set out in Column I below, rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

<b>Column-I</b> (Existing rule)	<b>Column-II</b> (Rule as hereby substituted)
<p><b>39. Fees for Cinematograph license-</b></p> <p>The fee payable by the licensee for the grant or renewal of a permanent or temporary licence under the Act or for issue of a duplicate copy thereof shall be liued at the following rates scale viz:</p> <p>(i) For the grant or renewal of a permanent licence for permanent cinema in a local area having population-</p> <p>(a) Upto one lac--Rs. 1000 (One Thousand) per month or part thereof.</p> <p>(b) More than one lac--Rs. 1500 (One Thousand Five Hundred) per month or part thereof.</p> <p>(ii) For the grant or renewal of a temporary licence for travellig cinema for a period-</p> <p>(a) Not exceeding one month-Rs. 150.00</p> <p>(b) Exceeding one month but not exceeding three momths-Rs. 450.00.</p> <p>(c) Exceeding three months but not exceeding six months-Rs. 900.00.</p> <p>(iii) Fee for the issue of a duplicate copy of permanent or temporary license to the licensee shall be 75 per cent of the respective fee for the original license as prescribed above.</p>	<p><b>39. Fees for Cinematograph/Digital Projection License-</b></p> <p>The fee payable by the licensee for the grant or renewal of a permanent or temporary licence under the Act or for issue of a duplicate copy thereof shall be levied at the following rates scale viz:</p> <p>(i) For the grant or renewal of a permanent licence for permanent cinema in a local area having population-</p> <p>(a) Upto one lac--Rs. 3000 (Three Thousand) per month or part thereof.</p> <p>(b) More than one lac--Rs. 5000 (Five Thousand) per month or part thereof.</p> <p>(ii) For the grant or renewal of a temporary licence for travellig cinema for a period-</p> <p>(a) Not exceeding one month-Rs. 500.00.</p> <p>(b) Exceeding one month but not exceeding three momths-Rs. 1500.00.</p> <p>(c) Exceeding three months but not exceeding six months-Rs. 3000.00.</p> <p>(iii) Fee for the issue of a duplicate copy of permanent or temporary license to the licensee shall be 75 per cent of the respective fee for the original license as prescribed above.</p>

**25. Amendment of Rule-39A**—In the said rules, rule 39-A set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

<b>Column-I</b> (Existing rule)	<b>Column-II</b> (Rule as hereby substituted)
<p><b>39-A. Fee for inspection of places proposed for construction of permanent building-</b></p> <p>The fee payable by the applicant for inspection of site plans and building specifications. Under Rule 3 shall be paid at the rate of Rs. 2000 per application.</p>	<p><b>39-A. omitted.</b></p>

**26. Amendment of Rule-40**—In the said rules, for the existing rule 40, set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I***(Existing rule)*

40. An Application for renewal of license shall be made one month before the date of the expiry of the license failing which penalty of Rs. 100 shall be leviable in addition to the renewal fee. The period of validity of permanent licenses which is for years as provided in Rule 9 shall expire on March 31 each year.

**Column-II***(Rule as hereby substituted)*

40. An Application for renewal of license shall be made to the licensing Authority one month before the date of the expiry of the license failing which penalty of Rs. 500 shall be leviable in addition to the renewal fee. *Every licence issued shall if not otherwise provided in the licence expire on 31st days of March of a calendar year.*

**27. Amendment of Rule-43**—In the said rules, in rule 43, for the existing sub-rule (iii) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I***(Existing sub-rule)*

(iii) The order shall be deemed to be duly served if it is tendered to the licensee, or, wherein the opinion of Licensing Authority personal service cannot be affected, if a copy of the order is affixed at a prominent place or the premises owned or controlled by the licensee.

**Column-II***(Sub-rule as hereby substituted)*

(iii) The order shall be deemed to be duly served if it is tendered to the licensee through e-mail, sms, phone, personal service and other reliable means of communication or, wherein the opinion of Licensing Authority personal service cannot be affected, if a copy of the order is affixed at a prominent place or the premises owned or controlled by the licensee.

**28. Amendment of Rule-44**—In the said rules, for rule 44, set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I***(Existing rule)*

44. *Imposition of composition charge while granting exemption under Section-10 of the Act-*

The composition charge payable under Section 13 (2) (aa) of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 while granting exemption from the provisions of specific rules under Section-10 of the Act, shall be under on such conditions and restrictions as may be imposed.

The exemption shall come into force only after the composition charge has been deposited in the Government Treasury and the conditions and restrictions have been complied with.

**Column-II***(Rule as hereby substituted)*

44. *Imposition of composition charge while granting exemption under Section-10 of the Act-*

The composition charge payable under Section 13 (2) (aa) of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 while granting exemption from the provisions of specific rules under Section-10 of the Act, shall be under on such conditions and restrictions as may be imposed.

The exemption shall come into force only after the composition charge has been deposited in the Government Treasury and the conditions and restrictions have been complied with.

Composition Charge			Composition Charge		
Serial no.	Exemption from Rules	Composition Charge Rs.	Serial no.	Exemption from Rules	Composition Charge Rs.
1	Rule 3 (3)	50,000	1	Rule 3 (3)	omitted
2	Rule 8 (2)	35,000	2	Rule 8 (2)	omitted
3	Rule 8 (3)	40,000	3	Rule 8 (3)	omitted
4	Rule 14 (2)	45,000	4	Rule 14 (2)	1,00,000
5	Rule 18	15,000	5	Rule 18	omitted

29. Amendment of Appendix-I—In the said rules, for Appendix-I, set out in Column I below, the Appendix as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column-I (Existing Appendix) APPENDIX-I [See Rule 2 (v) and (9)]	Column-II (Appendix as hereby substituted) APPENDIX-I [See Rule 2 (vi) and (9)]
Form of Licence under the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (as amended)	Form of Licence under the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (as amended)
No. :            /            /            Date :	No. :            /            /            Date :
(a) Name of Theatre, etc.	(a) Name of Theatre, etc.
(b) Address	(b) Address
(c) Name of the applicant	(c) Name of the applicant
(a) .....situated at (b) .....within the District of .....is licensed under section 3 of the Cinematograph (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956), as amended from time to time as a place where exhibition by means of a cinematograph may be given from .....both days inclusive.	(a) .....situated at (b) .....within the District of .....is licensed under section 3 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956), as amended from time to time as a place where exhibition by means of a cinematograph may be given from .....both days inclusive.
The licence has been granted to (c).....and shall be terminated forthwith if said (c) .....cases to own, to hold on lease or to manage the said (a).....).	The licence has been granted to (c).....and shall be terminated forthwith if said (c) .....cases to own, to hold on lease or to manage the said (a).....).
This licence is granted subject to the conditions set forth in the rules issued by the State Government and to the further conditions.....	This licence is granted subject to the conditions set forth in the rules issued by the State Government and to the further conditions.....
(1) That the said (c) .....shall not exhibit, or permit to be exhibited in the said (a) ..... any film other than a film which has been certified as suitable for public exhibition by an authority constituted under section 6 of the Cinematograph Act, and which, when exhibited, displays the prescribed mark of that authority, and has not been altered or tempered with in any way since such mark was affixed thereto,	(1) That the said (c) .....shall not exhibit, or permit to be exhibited in the said (a) ..... any film other than a film which has been certified as suitable for public exhibition by an authority constituted under section 6 of the Cinematograph Act, and which, when exhibited, displays the prescribed mark of that authority, and has not been altered or tempered with in any way since such mark was affixed thereto,

**Column-I**

*(Existing Appendix)*

(2) That the said (c) ..... shall cause to be exhibited at each performance after 30th September, 1946 in the (a) ..... one or more "approved films" the total length of which is not less than one thousand feet or an "Approved film" exceeding 750 feet in length in case of cinema exhibited 35 M.M. films and 400 feet in case of cinemas exhibiting 16 M.M. films and shall comply with any direction which the Uttar Pradesh Government may, by general or special order, give as to the manner in which 'approved' films shall be exhibited in the course of any performance.

NOTE—An 'approved film' means a Cinematograph film approved by the Central Government or by the Government of Uttar Pradesh for the purpose of exhibition in compliance with condition (2) of the licence.

(3) That the said (c) ..... shall not exhibit or permit to be exhibited in the said (a).....to any person who is not an adult or any film which has been certified by an authority constituted under section 6 as suitable for public exhibition restricted to adults.

NOTE—The condition shall not be construed as prohibition to the exhibition of a film in respect of which an 'A' certificate has been granted to children in arms below the age of three.

(4) That the said (c) ..... shall not exhibit or cause to be exhibited at any performance in the said (a).....

(1) any advertisements regarding sexual diseases and medicines to correct sexual disorders or purporting to assist the children in begetting children, etc. and (2) any indecent, obscene, immoral or suggestive advertisements, pictures or posters on the premises of the said (a).....

(5) That the said (c) ..... shall give a preview of the film to the District Magistrate or any other Corporation Officer deputed by him if it is reported or it comes to the notice of District Magistrate that the exhibition of the film or any portion thereof is liable to cause breach of peace.

**Column-II**

*(Appendix as hereby substituted)*

(2) That the said (c) ..... shall cause to be exhibited at each performance after 30th September, 1946 in the (a) ..... one or more "approved films" the total length of which is not less than one thousand feet or an "Approved film" exceeding 750 feet in length in case of cinema exhibited 35 M.M. films and 400 feet in case of cinemas exhibiting 16 M.M. films and shall comply with any direction which the Uttar Pradesh Government may, by general or special order, give as to the manner in which 'approved' films shall be exhibited in the course of any performance.

NOTE—An 'approved film' means a Cinematograph film approved by the Central Government or by the Government of Uttar Pradesh for the purpose of exhibition in compliance with condition (2) of the licence.

(3) That the said (c) ..... shall not exhibit or permit to be exhibited in the said (a).....to any person who is not an adult or any film which has been certified by an authority constituted under section 6 as suitable for public exhibition restricted to adults.

NOTE—The condition shall not be construed as prohibition to the exhibition of a film in respect of which an 'A' certificate has been granted to children in arms below the age of three.

(4) That the said (c) ..... shall not exhibit or cause to be exhibited at any performance in the said (a).....

(1) any advertisements regarding sexual diseases and medicines to correct sexual disorders or purporting to assist the children in begetting children, etc. and (2) any indecent, obscene, immoral or suggestive advertisements, pictures or posters on the premises of the said (a).....

(5) That the said (c) ..... shall give a preview of the film to the District Magistrate or any other Corporation Officer deputed by him if it is reported or it comes to the notice of District Magistrate that the exhibition of the film or any portion thereof is liable to cause breach of peace.

**Column-I**

*(Existing Appendix)*

**Column-II**

*(Appendix as hereby substituted)*

(6) That the said (c) ..... shall send previous information of every film proposed for exhibition to the District Magistrate together with the synopsis at least one week or, for good and sufficient reasons accepted by the District Magistrate upon application by the licensee, three days before exhibition is proposed Provided that if the said (c) ..... has submitted to the District Magistrate in accordance with the provisions of the condition a program in respect of a number of films within a specified period of one month or less it shall not be necessary for the licensee to inform the District Magistrate of any change he intends to make within that specified period in the proposed date for exhibition of films included in the programme originally submitted.

6.(A) That the said (c) ..... shall specifically and clearly mention, in block and bold letter, the starting date of exhibition of the film on each poster, hand bill, pamphlets etc. used for advertisement of the film. The said (c) ..... shall also ensure that the date mentioned is the same as informed to the District Magistrate under provision of Licence Condition No. 6.

(7) That the said (c) ..... shall allow the following officers to inspect (a) ..... situated at (b) ..... in order to see that the rules issued by the State Government are being observed-

- (i) The Licensing Authority or the officer authorized on his behalf by the State Government.
- (ii) Regional Fire Officer.
- (iii) Medical Officer of Health.
- (iv) Not exceeding two Police Officers, not below the rank of Sub-Inspector, deputed by the District Magistrate in consultation with the Superintendent of Police, and
- (v) Not exceeding two Magistrates as nominated by designation by the Licensing Authority.

(6) That the said (c) ..... shall send previous information of every film proposed for exhibition to the District Magistrate together with the synopsis at least one week or, for good and sufficient reasons accepted by the District Magistrate upon application by the licensee, three days before exhibition is proposed Provided that if the said (c) ..... has submitted to the District Magistrate in accordance with the provisions of the condition a program in respect of a number of films within a specified period of one month or less it shall not be necessary for the licensee to inform the District Magistrate of any change he intends to make within that specified period in the proposed date for exhibition of films included in the programme originally submitted.

6.(A) That the said (c) ..... shall specifically and clearly mention, in block and bold letter, the starting date of exhibition of the film on each poster, hand bill, pamphlets etc. used for advertisement of the film. The said (c) ..... shall also ensure that the date mentioned is the same as informed to the District Magistrate under provision of Licence Condition No. 6.

(7) That the said (c) ..... shall allow the following officers to inspect (a) ..... situated at (b) ..... in order to see that the rules issued by the State Government are being observed-

- (i) The Licensing Authority or the officer authorized on his behalf by the State Government.
- (ii) Regional Fire Officer.
- (iii) Not exceeding two Police Officers, not below the rank of Sub-Inspector, deputed by the District Magistrate in consultation with the Superintendent of Police, and
- (iv) Not exceeding two Magistrates as nominated by designation by the Licensing Authority.

**Column-I***(Existing Appendix)*

(8) That the total number of seats in the auditorium and the seats for each class shall not exceed the number specified in the Schedule hereto appended nor shall the number and description of the Fire appliance, Exhaust fans, Electric fans or sanitary requirements be less than those therein specified.

(9) That it shall be open to the Licensing Authority to amend or revoke the licence.

(10) That the said (c) ..... for the storage of cinematograph films under rule 24 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 shall comply with conditions 1 to 16, specified on licence form 'C' as prescribed under Article I of Schedule III of the Cinematograph Film Rules, 1948, as amended from time to time.

(11) That the said (c) ..... shall not display or cause to be displayed any photograph pictures or posters which depict or represent or purport to represent a scene or shot which has been excised from any film under the orders of the Central Board of Film Censors of the Central Govt.

(12) That there will be no restriction on the number of daily shows in the Cinema between 9:00 A.M. and 12:00 (midnight) and no show shall be held before 9:00 A.M. and after 12:00 (midnight), i.e. shows shall start at or after 9:00 A.M. and must finish by 12:00 (midnight). No show should be held before 9:00 A.M. and After 12:00 (midnight) without the specific permission of the licensing authority which will be given only in very exceptional circumstances.

(13) That no person below 18 years of age shall be allowed admission in shows held before 3:00 P.M. on working days.

NOTE: Children up to the age of 5 (five) years accompanied by their parents or guardians shall be exempted from this restriction. This restriction shall also not apply on holidays. Holidays for this purpose shall include Sundays, Gazetted holidays and holidays and vacations prescribed by the State Education Department for educational institutions.

**Column-II***(Appendix as hereby substituted)*

(8) That the total number of seats in the auditorium and the seats for each class shall not exceed the number specified in the Schedule hereto appended nor shall the number and description of the Fire appliance, Exhaust fans, Electric fans or sanitary requirements be less than those therein specified.

(9) That it shall be open to the Licensing Authority to amend or revoke the licence.

(10) That the said (c) ..... for the storage of cinematograph films under rule 24 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 shall comply with conditions 1 to 16, specified on licence form 'C' as prescribed under Article I of Schedule III of the Cinematograph Film Rules, 1948, as amended from time to time.

(11) That the said (c) ..... shall not display or cause to be displayed any photograph pictures or posters which depict or represent or purport to represent a scene or shot which has been excised from any film under the orders of the Central Board of Film Censors of the Central Govt.

(12) That there will be no restriction on the number of daily shows in the Cinema between 9:00 A.M. and 12:00 (midnight) and no show shall be held before 9:00 A.M. and after 12:00 (midnight), i.e. shows shall start at or after 9:00 A.M. and must finish by 12:00 (midnight). No show should be held before 9:00 A.M. and After 12:00 (midnight) without the specific permission of the licensing authority which will be given only in very exceptional circumstances.

(13) That no person below 18 years of age shall be allowed admission in shows held before 3:00 P.M. on working days.

NOTE: Children up to the age of 5 (five) years accompanied by their parents or guardians shall be exempted from this restriction. This restriction shall also not apply on holidays. Holidays for this purpose shall include Sundays, Gazetted holidays and holidays and vacations prescribed by the State Education Department for educational institutions.



**Column-I***(Existing Appendix)*

(14) That juveniles below 14 (fourteen) years of age shall not be allowed admission in the late night shows unless they are accompanied by their parents or guardians.

(15) That the said (c) ..... or any/other person responsible for the management of the cinema shall not contravene any of the provisions of the U.P. Entertainment and Betting Tax Act, 1979 (Act 28 of 1979), U.P. Entertainment & Betting Tax Rules, 1981 or orders issued under the said Act or Rules\*\*

(16) That this licence, any order issued under section 38 of the U.P. Entertainment and Betting Tax Act, 1979 and form 'B' register shall at all times, be kept in the manager's office (if there is no manager's office then in the booking office) and made available for inspection immediately on demand.

(17) "That the name of the main feature film and the title and number etc. of each "Approved film" exhibited at each performance shall be noted on the form 'B' statement prepared for each show and the licensee shall not exhibit, or allow to be exhibited, any feature film in any show other than the one so noted.

(18) That the Manager's office shall be near the main entrance of the cinema on the ground floor and shall bear on the door in clear legible letters the words "Manager".

NOTE: For cinemas not situated on the ground floor, 'Ground Floor' shall mean the floor on which the lowest portion of the auditorium is situated.

**Column-II***(Appendix as hereby substituted)*

(14) That juveniles below 14 (fourteen) years of age shall not be allowed admission in the late night shows unless they are accompanied by their parents or guardians.

(15) That the Manager's office shall be near the main entrance of the cinema on the ground floor and shall bear on the door in clear legible letters the words "Manager".

NOTE: For cinemas not situated on the ground floor, 'Ground Floor' shall mean the floor on which the lowest portion of the auditorium is situated.

(16) That the sound and light arrangements shall be such as to ensure good visibility and audibility to all spectators at all times.

(17) (a) That the seats shall be kept in a proper state of repairs.

(b) That the rows of seat in each class shall be marked and identified as A, B, C etc. and seats in each row shall be serially numbered.

(c) That all tickets issued for the two highest classes shall bear the seat numbers and the patrons shall be seated accordingly at least during the first three days of every first run film.

(d) That the event of advance booking each ticket shall bear the seat number and patron shall be seated accordingly.

(18) That all walls and floors shall be kept clean at all times, all floors shall be washed with disinfectant at least once everyday. All walls up to a height of 90 cms. from the floor shall be cleaned with a strong disinfectant at least once a month.

**Column-I**

*(Existing Appendix)*

(19) That the sound and light arrangements shall be such as to ensure good visibility and audibility to all spectators at all times.

(20) (a) That the seats shall be kept in a proper state of repairs.

(b) That the rows of seat in each class shall be marked and indentified as A, B, C etc. and seats in each row shall be serially numbered.

(c) That all tickets issued for the two highest classes shall bear the seat numbers and the patrons shall be seated accordingly at least during the first three days of every first run film.

(d) That the event of advance booking each ticket shall bear the seat number and patron shall be seated accordingly.

(21) That all walls and floors shall be kept clean at all times, all floors shall be washed with disinfectant at least once everyday. All walls up to a height of 90 cms. from the floor shall be cleaned with a strong disinfectant at least once a month.

**Column-II**

*(Appendix as hereby substituted)*

(19) That a sufficient number of spittoons shall be provided at suitable places as specified by the licensing authority in the Schedule appended hereto. The spittoons shall contain a strong disinfectant and shall be emptied and cleaned from time to time. Notices for using such spittoons shall be displayed prominently in the cinema premises.

(20) That no vending of any tea, coffee, milk, cold drinks or other beverages or any edibles which are not in a sealed packet shall be permitted indside the auditorium.

**NOTE :** (1) Conditions Nos. 17, 18, 19 and 20 shall not be applicable in the case of traveling cinema's.

(2) Condition 17(c) and 20 shall not ordinarily be applicable to cinemas situated away from the district headquarters.

(21) That the said (c) ..... shall besides sending information of every film proposed for exhibition to the District Magistrate as per condition No. (6) submit to the District Magistrate certified copy of the certificate information received from the Distributor of the film in accordance with the provisions of section 6.A. of the Cinematograph Act, 1952 along with the original. The original certificate shall be returned after, perusal but the said (c).....shall keep the same readily available at the cinema along with a copy of the programme of the film submitted to the District Magistrate and produce the same for inspection before any officer empowered to carry out inspections of the cinema. He shall also ensure that the film, which is being exhibited, is the same for which a programme, synopsis and a certified copy of the above mentioned certificate received from the producer/distributor has been submitted.

**Column-I**  
*(Existing Appendix)*

(22) That a sufficient number of spittoons shall be provided at suitable places as specified by the licensing authority in the Schedule appended hereto. The spittoons shall contain a strong disinfectant and shall be emptied and cleaned from time to time. Notices for using such spittoons shall be displayed prominently in the cinema premises.

(23) That no vending of any tea, coffee, milk, cold drinks or other beverages or any edibles which are not in a sealed packet shall be permitted inside the auditorium.

NOTE: (1) Conditions Nos. 20, 21, 22 and 23 shall not be applicable in the case of traveling cinema's.

(2) Condition 20 (c) and 23 shall not ordinarily be applicable to cinemas situated away from the district headquarters.

(24) That the said (c) ..... shall also not at any time, keep or allow to be kept or used any ticket bearing duplicate serial numbers, keeping or using tickets bearing duplicate serial numbers or any kind or spurious tickets in any manner what so ever, shall unless proved to the contrary, be deemed to have as its object the evasion of Entertainment Tax.

(25) That the said (c) ..... shall, besides sending information of every film proposed for exhibition to the District Magistrate as per condition No. (6) submit to the District Magistrate certified copy of the certificate information received from the Distributor of the film in accordance with the provisions of section 6.A. of the Cinematograph Act, 1952 along with the original. The original certificate shall be returned after, perusal but the said (c) ..... shall keep the same readily available at the cinema along with a copy of the programme of the film submitted to the District Magistrate and produce the same for inspection before any officer empowered to carry out in sections of the cinema. He shall also ensure that the film, which is being exhibited, is the same for which a programme, synopsis and a certified copy of the above mentioned certificate received from the producer/distributor has been submitted.

**Column-II**  
*(Appendix as hereby substituted)*

(22) That the said (c) ..... shall besides sending information of every film proposed for exhibition to the District Magistrate, also intimate the name and address of the distributor from whom the film has been obtained and whether the film has been taken on percentage or fixed hire basis. In case a exhibitor has given his cinema on weekly hire then he shall obtain this information from the person who has taken the cinema on weekly hire and submit the information to the District Magistrate.

(23) That Defense Personnel tickets shall be issued to defense personnel on producing of indentity card and the number of the identity card or the name of the person concerned shall be invariably noted on the defense personnel tickets and on its counter file.

(24) That the said (c) ..... shall cause to be exhibited free of cost at least two sliders/messages on environment in each show undertaken by them.

(25) That the said (c) ..... shall provide the wheel chairs & other required and possible facilities for handicapped persons.  
Dated.....20  
District Magistrate.

**SCHEDULE**

Class	
Number of seats	Description
Number	Fire appliances
Location	
Description and Size	
Number	
Description and size	
Number	
Sanitary equipments including number of latrine seats and places of urinating Remarks--	
Details of certificates and plans accompanying the application mentioned in Rule 4 should be given and a copy of the plan should be attached duly certified by the Licensing Authority to the licence granted.	

Dated.....20 District Magistrate

**Column-I**

*(Existing Appendix)*

(26) That the said (c).....

shall provided a red box fitted with lock and key bearing the words form 'B' in Hindi with a whole on the top for placing original form 'B' statement prepared under rule-13 of the U.P. Entertainment and Betting Tax Rules, 1981. The Box shall be fixed on the wall at a place approved in writing by District Entertainment Tax Officer/Inspector which shall be away from the manager's Office/Booking Office but visible from outer gate of the Cinema to any Inpecting Officer even if the gate is closed. A red bulb shall be kept alight over the box during the running the show. The manager shall detach the Original form 'B' from the register and punch the figured of Entertainment Tax collected from the show in thousand and hundred in the columns of Punching Table provided for the purpose in both the copies of form 'B' and place the same in the said box not later than within ten minutes form the expiry of the time allowed for completing the account in form 'B'. The Manager shall open the lock of the box in the presence of an inspecting officer in order to enable them to take out the from 'B' for checking. After the end of each show the form 'B' shall be taken out from the box by the Manager and kept in separate file. Failure to punch and place the form 'B' in box within stipulated time shall, unless proved to the contrary be deemed to be evasion of Entertainment Tax.

(27) That the said (c) .....

shall besides sending information of every film proposed for exhibition to the District Magistrate, also intimate the name and address of the distributor from whom the film has been obtained and whether the film has been taken on percentage or fixed hire basis. In case a exhibitor has given his cinema on weekly hire then he shall obtain this information from the person who has taken the cinema on weekly hire and submit the information to the District Magistrate.

(28) That the return in form 'B' prescribed under rule 13 of the U.P. Entertainment and Betting Tax Rules, 1981 shall be prepared only on Form 'B' printed by security press of printed by any other press approved by the Entertainment Tax Commissioner U.P. and shall be obtained from the District Entertainment Tax Office after depositing its cost in cash and in no case form 'B' register or any page thereof printed by a press other than the aforesaid press or Form 'B' prepared by hand shall be used.

**Column-II**

*(Appendix as hereby substituted)*

(29) That the said (c)..... shall be issued to the person concerned on production of identity card and the number of the identity card or the name of the person concerned shall be invariably noted on the return (Form 'B') and on its counter file.

(30) That the said (c)..... or his manager shall, immediately after the end of each show, remove the original page of the form 'B' statement of the show from the box and keep the same in a separate file for submission to the District Magistrate at the end of the week or as otherwise with the provision of Rule-16 of the Entertainment and Betting Tax Rules, 1981. There shall be no return or over-stamp in any entry in the said form 'B' statement and during its life shall invariably be retained by the person responsible for the management and signing the Form 'B' statement.

(31) The format of return (Form 'B') shall be prepared a statement separately for each show, which shall be completed within an hour from the commencement of the show in which it is to be shown before the commencement of the interval, which shall be kept in a separate file and which shall show the name and place of the theatre, the date of performance, the name of the show, time of starting of show, name of the exhibitor, name of the distributor, name of the cinema and date of exhibition for each show. The total number of performers, the statement shall be kept ready in the Manager's Office or the Booking Office, if there be no manager's office and shall be produced for checking immediately on demand before any inspecting officer. Original copies of this statement for all the shows held during a week shall be submitted to the District Magistrate along with Form 'B' prescribed under rule 13 of the U.P. Entertainment and Betting Tax Rules, 1981.

(32) That the said (c)..... shall cause to be exhibited list of cost at least two hundred rupees of advertisement in each show.

**Column-I**

*(Existing Appendix)*

(29) That defense Personnel tickets shall be issued to defense personnel on producing of identity card and the number of the identity card or the name of the person concerned shall be invariably noted on the defense personel tickets and on its counter file.

(30) That the said (c) ..... or his manager shall, immediately after the end of each show, remove the original page of the form 'B' statement of the show from the box and keep the same in a separate file for submission to the District Magistrate at the end of the week in accordance with the provision of Rule-16 of the Entertainment and Betting Tax Rules, 1981. There shall be no erosion or over writing in any entry in the said form 'B' statement and cutting, if any, shall invariably be initialed by the person responsible for the management and signing the Form 'B' statement.

(31) The licence of interior cinema shall prepare a statement, separately for each show, which shall be completed within an hour from the commencement of the show to which relates or before the commencement of the interval, which ever is earlier and which shall show the name and place of the interior cinema date of performance, name of show, time of starting of show, name of feature film, name of distributor, name/number of news real/documentary film, period of licence, name of class and rate of admission for each class, number of tickets issued for each class and class wise and total number of spectators. The statement shall be kept ready in the Manager's Office or the booking office, if there be no manager's office and shall be produced for checking immediately on demand before any inspecting officer. Original copies of this statement for all the shows held during a week shall be submitted to the District Magistrate along with Form 'H' prescribed under rule 26 of the U.P. Entertainment and Betting Tax Rules, 1981.

(32) That the said (c) ..... shall cause to be exhibited free of cost at least two sliders/messages on environment in each show undertaken by them.

**Column-II**

*(Appendix as hereby substituted)*

shall be submitted to the District Magistrate along with Form 'H' prescribed under rule 26 of the U.P. Entertainment and Betting Tax Rules, 1981. There shall be no erosion or over writing in any entry in the said form 'B' statement and cutting, if any, shall invariably be initialed by the person responsible for the management and signing the Form 'B' statement.

(31) The licence of interior cinema shall prepare a statement, separately for each show, which shall be completed within an hour from the commencement of the show to which relates or before the commencement of the interval, which ever is earlier and which shall show the name and place of the interior cinema date of performance, name of show, time of starting of show, name of feature film, name of distributor, name/number of news real/documentary film, period of licence, name of class and rate of admission for each class, number of tickets issued for each class and class wise and total number of spectators. The statement shall be kept ready in the Manager's Office or the booking office, if there be no manager's office and shall be produced for checking immediately on demand before any inspecting officer. Original copies of this statement for all the shows held during a week shall be submitted to the District Magistrate along with Form 'H' prescribed under rule 26 of the U.P. Entertainment and Betting Tax Rules, 1981.

(32) That the said (c) ..... shall cause to be exhibited free of cost at least two sliders/messages on environment in each show undertaken by them.

**Column-I**

*(Existing Appendix)*

(33) That the said (c) ..... shall prepare the gate dairy, for each show, separately for each class, that will contain the number of spectators in particular class under sub-section of section-3 of U.P. Entertainment and Betting Tax Act, 1979 read with said section 8(c). The gate keeper diary shall contain 100 pages dully attested by concerned DETO/ETI. The said dairy would be produce whenever inspecting authority asks for inspection for the same. After the expiry every financial year the said gate keeper dairy shall be kept preserved by (c) .....till the disposal of utilization of CMS's accounts relevant financial year.

(34) That the said (c) ..... shall provide the wheel chairs & other required and possible facilities for handicapped persons.

Dated.....20

**SCHEDULE**

Class\*  
 Number of seats Description  
 Number Fire  
 Appliances Location  
 Description and Size  
 Number  
 Description and Size  
 Number

Sanitary equipments including number of latrine seats and places of urinating Remarks-- Details of certificates and plans accompanying the application mentioned in Rule 4 should be given and a copy of the plan should be attached duly certified by the Licensing Authority to the licence granted.

Dated.....20 District Magistrate

**Column-II**

*(Appendix as hereby substituted)*

*(Faint, mostly illegible text from the reverse side of the page, including words like 'Column-I', 'Appendix', 'Form of Permit for Cinematograph', 'Operator Permit No.', 'When', 'Particulars', 'and (Address)', 'examined and is found qualified to perform the duties of an operator as a being permitted under Rule 10 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951, to operate a cinematograph machine within this State for a period of three years ending', 'The licence fee of Rs. 50 (twenty) rupees for the permit has been notified and control to the State Government', 'Place', 'Date', '31. Provision of Appendix-II to the said rules, after Appendix II of the', 'be inserted accordingly', 'Appendix-III', 'Application for the Licence of Exhibition by means of Cinematograph (Digital Projection System) under Rule 8', 'Cinema (Single Screen) Multiple/With Cinema', 'The District Magistrate', 'Signature', 'of', 'Station', '(If Applicant) please give up the required licence for the same'*

30. Amendment of Appendix-II-In the said rules, for Appendix-II, set out in Column I below, the Appendix as set out in Column II shall be substituted, namely :

**Column-I**  
 (Existing Appendix)  
**APPENDIX-II**  
 [Under Rule 26 (ii)]  
 Form of Permit for Cinematograph  
 Operator Permit No.....  
 Whereas  
 Sri.....(Particulars).....  
 .....and (Address).....has been  
 examined and is found qualified to perform the  
 duties of an operator he is hereby permitted under  
 Rule 26 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules,  
 1951, to Operate a cinematograph machine within  
 Uttar Pradesh, for a period of three years  
 ending .....20  
 The licence fee of Rs. 20 (twenty) payable for  
 this permit has been realised and credited to the  
 State Revenues.  
 Licensing Authority  
 Place.....  
 Date.....

**Column-II**  
 (Appendix as hereby substituted)  
**APPENDIX-II**  
 [Under Rule 26 (ii)]  
 Form of Permit for Cinematograph  
 Operator Permit No.....  
 Whereas  
 Sri.....(Particulars).....  
 .....and (Address).....has been  
 examined and is found qualified to perform the  
 duties of an operator he is hereby permitted under  
 Rule 26 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules,  
 1951, to operate a cinematograph machine/Digital  
 Projector Machine within Uttar Pradesh, for a  
 period of three years ending .....20  
 The licence fee of Rs. 200 (Two Hundred)  
 payable for this permit has been realised and  
 credited to the State Revenues.  
 Licensing Authority  
 Place.....  
 Date.....

31. Insertion of Appendix-III-In the said rules, after Appendix-II, the following Appendix shall be inserted, namely :

**Appendix-III**  
**Application for the Licence of Exhibition by means of Cinematograph/Digital Projection**  
**System (under Rule 4)**  
**Cinema (Single Screen)/Multiplex/Mini Cinema**

To,  
The District Magistrate  
\_\_\_\_\_

**Application**

I \_\_\_\_\_ S/D/W/Of \_\_\_\_\_ or  
 Authorized Signatory of Firm/Company \_\_\_\_\_  
 R/O \_\_\_\_\_ want to avail Licence for cinema with Single  
 screen/Multiplex/Mini Cinema at plot No. \_\_\_\_\_ in Tehsil \_\_\_\_\_, Police  
 Station \_\_\_\_\_ of Dist \_\_\_\_\_, under the Government Scheme  
 (if Applicable) please give me the required licence for the same.

I am also submitting/uploading the following attested documents in support of my application under the rule 4 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 (as amended).

1. The proof of ownership of the premises and cinematographic projector/digital projection system with the original plan of site and premises and the position of the premises in relation to adjacent premises and public through fares on which the building abuts, within a radius of 200 meters, approved by the competent authority under the relevant provisions.
2. The original order of construction with building plan, which shall contain the elevations and section of the building, the proposed electrical installations, arrangements for ventilation, sanitation and parking of vehicles approved by the competent authority under the relevant provisions.
3. Plan of seating arrangements for each class, separately, approved by the competent authority under the relevant provision.
4. Completion certificate/Occupation certificate issued by the Competent Authority; with no objection certificate regarding structural safety and stability.
5. Certificate from Deputy Director or Assistant Director of Electrical Security Department of concerned area or the person authorized by him that the electrical installations conform to the required standards and the existing rules and bye laws;
6. The details of the arrangements for sanitation conforming to the requirements of the existing rules and byelaws; and
7. Certificate from Chief Fire Officer/Officer-in-charge (Fire) of concerned area or the person authorized by him having jurisdiction that the arrangements for fire-fighting appliances provided and the precautions taken against fire conform to the requirements of the existing rules and byelaws.
8. Copy of the agreement between the applicant and distributor of approved film for the supply of approved film for the period of one financial year.
9. Copy of Applicant's/Firm's PAN CARD.
10. Any other documents/no objection certificate as the licensing authority finds fit to be presented.

I hereby declare that the above information/documents furnished by me are true to the best of my knowledge.

Date \_\_\_\_\_

Place \_\_\_\_\_

Name & Signature of Applicant \_\_\_\_\_

Permanent Address \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

PH./Mob. \_\_\_\_\_

By order  
ALOK SINHA,  
Add. Chief Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र दिनांक 28-04-2018 के भाग 1-क में प्रकाशित विज्ञापित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0पी0-1 सा0 वित्त कर एवं निबन्धन-01-05-2018-250 प्रतियां (मोनो/डी0टी0पी0/आफसेट)।